



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234751
CG-DL-E-01042022-234751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 231(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--
(i) आरंभिक भाग में "2021" अंकों के स्थान पर, "2022" अंक रखे जाएंगे;
(ii) उपनियम (5) में, "2020" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों के परिशिष्ट-2 में, प्ररूप आ.क.वि.-1 सहज, आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3 आ.क.वि.-4 सुगम, आ.क.वि.-5, आ.क.वि.-6, आ.क.वि.-V और आ.क.वि.-पावती के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

“आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2
	[किसी व्यक्ति निवासी के लिए (जो कि सामान्यतः निवासी के अतिरिक्त नहीं हो) जिसकी कुल आय 50 लाख रु. तक हो , वेतन से आय हो, एक आवासीय संपत्ति, अन्य खोत (व्याज आदि) तथा कृषि आय 5000 रु. तक हो।] [किसी व्यक्ति के लिए नहीं जो या कंपनी में निदेशक हो और धारा 194 ब के अधीन टी.डी.एस काटा गया हो या असूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स में निवेश किया हो, यदि इएसओपी में आयकर भिन्न है।] (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)						

[illegible]

भाग ख- सकल कुल आय					केवल संपूर्ण रुपए (₹)	
में						
ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग + 1घ + 1ङ)			i	
वेतन/पेंशन		क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक			
		ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख			
		ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग			
		घ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखें गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iघ			
		ङ धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ			
	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ट्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]			ii	
	iiक	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			iiक	
	iii	शुद्ध वेतन (i – ii- iiक)			iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियाँ (ivक + ivख + ivग)			iv	
		क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	ivक			
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख				
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग				
V	‘वेतन’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv)			ख1		

ख ₂	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं ☐ स्व:अधिभोग ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझी गई					
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराए का मूल्य			i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर		ii		
	iii	वार्षिक मूल्य (i + ii)			iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत		iv		
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज		v		
	vi	वकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%		vi		
	vii	गृह संपत्ति शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi			ख ₂	
ख ₃	अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते,जमा आदि से व्याज ई-फाईलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभान्श आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें)					
	घटा: धारा 57(ii)के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)					
	घटा: धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा				ख ₃	
ख ₄	सकल कुल आय (ख ₁ + ख ₂ + ख ₃)(यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें) नोट: श्रति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें				ख ₄	

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80घघघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80ड	80डड
80डडक	80डडख	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80छछ	80छछछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	80छछग	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	
कुल कटौतियां				ग1	कुल आय(ख4-ग1)				ग2
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय					छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें				
भाग घ—संदेय कर की संगणना									
घ1	कुल आय पर संदेय कर		घ2	धारा 87क के अधीन छूट		घ3	रिबेट के पश्चात् कर		
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ड को भरना		
घ7	धारा 234क के अधीन व्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन व्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन		
घ10	धारा 234ज के अधीन फीस		घ11	कुल कर, फीस और व्याज(घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)					
घ12	कुल संदेय कर		घ13	कुल संदेय(घ11 - घ12)(यदि घ11 > घ12)		घ14	प्रतिदाय(घ12 - घ11)(यदि घ12		
भाग ड—अन्य जानकारी- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)									
क्रम सं. I	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन					
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।									

अनुसूची-आयकर आय- करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के व्यौरे																			
बीएसआरकोड (स्तंभ i)					निक्षेप की तारीख(तारीख/मास/वर्ष)) (स्तंभ ii)					चालान सं. (स्तंभ iii)					संदत्त कर (स्तंभ iv)				
आर 1																			
आर 2																			
अनुसूची -स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहीत कर के स्रोत पर कर कटौती व्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16/ 16क/ 16ग/																			
	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टैन या किराएदार का पेन/ आधार सं.	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता/ किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रह के अधीन है	कर कटौती / संग्रह का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस													
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)													
टी1																			
टी2																			

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख मैं,पुत्र / पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

और हस्ताक्षर	विवरण में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डाउनलोड का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)। तारीख: हस्ताक्षर:
यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :	
टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम
टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर	
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम	

प्र. आ.क.वि- 2	भारतीय आयकर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाष से आय नहीं है। [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2

भाग क- साधारण साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन)
	(क6) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम	(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ व्यष्टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब	
	(क8) मार्ग / गली / डाकघर	(क14) जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / /		
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान	(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
	(क10) नगर / शहर / जिला	(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / ज़िप कोड	
	(क12) देश			
	(क16) निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. 1	(क17) मोबाइल नं० 2		
(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)	(क19) ई मेल पता -2			

प्रस्तुत पत्र भर कर	(क20क1)	धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए] या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92 गद्य-उपांतरित विवरण ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात् ☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148
	(क2)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? ☐ हां ☐ नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प ☐ अभी विकल्प चुन रहे हैं ☐ विकल्प नहीं चुन रहे ☐ विकल्प जारी ☐ विकल्प से बाहर	
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]	
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)

(खीव)	क्या आप धारा 139(1) के सांतवें परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)		(चिह्न) ☐ हां ☐ नहीं	
(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)			/
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिफ नंबर)		/
(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति(व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] ☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण लागू नहीं होता है] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]	
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	☐ आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)] ☐ आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्त्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख र. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित	
		इ. अनिवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -	
			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)
			1	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)
			2	
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -	
			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. ☐ निवासी ☐ निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं ☐ अनिवासी		
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)	☐ हां ☐ नहीं		
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (यदि “हां”, कृपया अनुसूची 5क भरें)			
(ज)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -			
	(1)	प्रतिनिधि का नाम		
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राफ्ट डाऊन उपबंधित किया जाए)		
	(3)	प्रतिनिधि का पता		
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार		

(झ)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध				निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)						
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)												
(ञ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष		
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू करें)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) ☒ (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)	
		नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य
		पिन कोड / जिप कोड	
1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ
	(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियाँ जोड़े)		
2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2	
2क धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा		2क	
3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3	

4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
	I			
	II			
	/लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं I (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	I			
	II			
	क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
	घ योग (1ख + 1ग)	1घ		
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है		1ङ	
	च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च	
	छ 1च का 30%	1छ		
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
	झ योग (1छ + 2ज)		1झ	
	ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया		1ञ	
	ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)		1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			

सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					
I लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं I (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
I					
II					
क		प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)			2क
ख		किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग		स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ		योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ		वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
च		स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च		
छ		1च का 30%	2छ		
ज		उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ		योग (2छ + 2ज)	2झ		
ञ		वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ		
ट		गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ज)	2ट		
3		आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *	3		
4		“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4		
टिप्पण		इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण		किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है			
टिप्पण		किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची -गछ				पूंजी अभिलाभ	
	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)			
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)		
		क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का
			ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii

				iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य । यदि (कii), (कi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कi) लेंगे अन्यथा (कii) लेंगे ।				कiii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi		
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii		
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii		
				iv	कुल (खi + खii + खiii)				खiv		
			ग	अतिशेष (कiii – खiv)				1ग			
			घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)				1घ			
			ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)					अ1ङ		
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
				क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन्/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	
			टिप्पण ►			पैन्/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।					
		2	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है								
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi		
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii		
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii		
				iv	कुल (i + ii + iii)				खiv		
			ग	अतिशेष (2क – खiv)				2ग			

			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	
			ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)		अ2ङ
		3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)		
			क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है		अ3क
			ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है		अ3ख
		4		अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से		
			क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित व्यौरे दर्ज करें।		

		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
		iii	कुल (ग + ii)	क iii		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
		iv	कुल (i + ii + iii)	खiv		
		ग	अतिशेष (4क iii - खiv)	2ग		
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ		
		ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		अ4ङ	
5			उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			

क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का			
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (i + ii + iii)	खiv		
ग अतिशेष (5क iii - खiv)		5ग			
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है		5घ		

	ड उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूज (5ग + 5घ)							अ5ड		
6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?									
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
	ii	2019-20	54ख							
ख क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxि + ख)								क6	
7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)								अ 7	
	क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7क			
	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ख			
	ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क7ग			
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है									
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	I									
	II									

क	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि जो कर प्रभार्य नहीं है	क8क
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है	क8ख

9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)	क 9
---	---	-----

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ

आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)												
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)											
	संनिर्माण की तारीख दिन/मास/वर्ष					विक्री/हस्तांतरण की तारीख				दिन/मास/वर्ष			
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				का						
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii						
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (का) या अन्यथा (काii) लेंगे।				काiii						
	ख धारा 48 के अधीन कटौती												
		i	अधिग्रहण की लागत				खi						
		iiक	सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत				खiiक						
		iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत				खiiख						
		(क)	संशोधन की लागत										
		(ख)	संशोधन वर्ष										
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत										
		पंक्ति जोड़े											
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii						
		iv	कुल (खiiक + खiiख + खiii)				खiv						
		ग	अतिशेष (काiii - खiv)				1ग						
		घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1घ						
		ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)								आ1ड		
		च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)										
			क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य			
	टिप्पण ▶	पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।											
	2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से											
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क							
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती											
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खi						
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खii						
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii						
		iv	कुल (खi + खii + खiii)				खiv						
	ग	अतिशेष (2क - खiv)				2ग							
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2घ							

ड बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)				आ2ड	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहाँ धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से				
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	धारा 54डग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3घ		
	ड	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		आ3ड	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	4ख		
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)		ख4चघ	
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)				
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूअ	5क 4		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	5ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)		आ5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)				
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग		
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (iग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		

	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	6घ		
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ 6ङ	
7	अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	7ख		
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख 7ग	
8	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन				
	क	विनिदिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ख		
	ग	विनिदिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ	
	घ	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना	8घ		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ङ		
	च	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च	
9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से				
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii ख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (9कiii - खiv)	9ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	9घ		
	ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		आ 9ङ	
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				

क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?							
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं हां ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)							
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
i	2018-19	54/54च/54ख						
ii	2019-20	54ख						
ख 'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क+कii+ख)								
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)				ख 10 ख 11			
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11क1			
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11क2			
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				ख11ख			
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं							
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. 1 से 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्रास किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
I								
II								
13	आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ड+ख2ड+ख3ड+ख4ड+ख5ग+ख6ड+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)							
इ	'पूंजीगत अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)							
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना							
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए							
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन / मास / वर्ष	
ii	नए आवासीय घर की लागत					क ii		
iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख					क iii	दिन / मास / वर्ष	
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv		
v	दावा की गई कटौती की रकम					क v		
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती							
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन / मास / वर्ष	

		ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii	
		iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
		v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v	
		ग धारा 54इंग के अधीन दावा की गई कटौती			
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
		ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास	ग ii	
		iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
		iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	
		घ धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन / मास / वर्ष
		ii	नए आवासीय घर की लागत	घ ii	
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन / मास / वर्ष
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा	घ iv	
		v	दावा की गई कटौती की रकम	घ v	
		ङ धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
		i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ङ i	दिन / मास / वर्ष
		ii	पात्र कंपनी का पैर	ङ ii	
		iii	पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग	ङ iii	
		iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ङ iv	दिन / मास / वर्ष
		v	पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की	ङ v	
		vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	ङ vi	दिन / मास / वर्ष
		vii	पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से	ङ vii	
		viii	दावा की गई कटौती की रकम	ङ viii	
		च धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
		i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन / मास / वर्ष
		ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई	च ii	
		iii	विनिधान की तारीख	च iii	दिन / मास / वर्ष
		iv	दावा की गई कटौती की रकम	च iv	
		छ कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)			
		1छ			

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा

क्रम	पूंजी अभिलाभ सं. का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
------	----------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--

			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	पूंजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरें यदि प्रणित अंक नकारात्मक है) →							(आ3ङ+ आ4 ङ+ आ6ङ+ आ7 ग+ आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ङ+ आ2ङ+ आ5ग+ आ8च+ आ9ङ+ आ10 + आ11ब)		
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)								
iii	अभिलाभ	30%	अ4ङ + अ7ख								

iv	लागू दर	(अ1ड+ अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)								
v	डीटीएए दरें	अ8(2)								
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	(आ3ड + आ4ग + आ6ड + आ7ग + आ8ग + आ11क1 + आ11क2)							
vii	पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8क+ आ9ड+ आ10 + आ11क)							
viii	डीटीएए दरें	आ12ब								
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)									

ऊ प्रोद्भवन की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद

पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1 15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2 30% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3 लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4 10% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
5 20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					

टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 112क एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निध्नी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य ,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य -(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल (क i + क ii)	1क	
i	लाभांश आय धारा 2(22)(ड) के तहत	क i	
ii	(i) के अतिरिक्त लाभांश आय	क ii	
ख	व्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	वचत बैंक से नीचे	खा	
ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	खii	
iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii	
iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित व्याज	खv	
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित व्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित व्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित व्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	अन्य, सकल (घौड के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्र. सं.	प्रकृति	राशि	
1	पारिवारिक पेंशन		
2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
3	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)	2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2क	

ख धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष			2ग	
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)			2घ	
i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i			
ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii			
iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii			
Iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv			
v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v			
vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi			
vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii			
viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii			
ix	धारा 115कग के तहत प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix			
X	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x			
xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi			
xii	प्रतिभूतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii			
xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii			
xiv	धारा 115खखक के तहत प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv			
Xv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv			
xvi	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi			
xvii	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii			
xviii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xviii			

	xix		अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य			घxix					
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)									2ड	
च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)									2च	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)										
	का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का				
	काii	धारा 57(i) के तहत लाभान्श पर व्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)					3काii				
	काiik	धारा 57(1) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि					3काiik				
	काiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काiii				
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख				
	ग	योग					3ग				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5	
5क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत हेतु आय का दावा									5क	
6	[1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) – 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)									6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)									7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय									
	क	प्राप्तियां	8क							
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन	8ख							
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग							
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ							
	ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)	8ड							
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)									9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना									
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक			
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय								
	2	क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभों पर आय								

3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
5	धारा 115कगक (1)(क) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)						
6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						
8	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के तहत राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)						

टिप्पण ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन			चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
चालू वर्ष की हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोटों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
	i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
	iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
	iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद डू का 9ii)			
	v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद डू का 9iii)			
	vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद डू का 9iv)			
	vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद डू का 9v)			
	Viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद डू का 9vi)			

Ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
X	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8इ)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

अनुसूची - अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन

पूर्व वर्षों की अग्रणीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रणीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रणीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

नुकसान को अंग ले जाना	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
		1	2	3	4	5	6
	i	2014-15					
	ii	2015-16					
	iii	2016-17					
	iv	2017-18					
	v	2018-19					
	vi	2019-20					
	vii	2020-21					
	viii	2021-22					
	ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
	x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
	xi	2022-23 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2भाii)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2भा+3भा+4भा+5भा)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भा+7भा+8भा)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
	xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि					

अनुसूची- VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
क	80ग		ख	80गगग	
ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)	
ङ	80 गगघ(2)		च	80घ	
छ	80घघ		ज	80घघख	
झ	80ङ		ञ	80ङङ	
ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
ड	80छ		ढ	80छछ	
ण	80छछक		त	80छछग	
2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती				
थ	80थथख		द	80ददख	
ध	80ननक		न	80ननख	
प	80प				
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)				3

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना		दान की रकम	
						दान के लिए उपयुक्त रकम	
	i						
	ii						
	iii	कुल					

ख बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
i					
ii					
iii	कुल				
ग अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
i					
ii					
iii	कुल				
घ अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान
i					
ii					
iii	कुल				
ङ कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80 छछछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	☐	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2giii)	(अनुसूची ओ.एस का 2giv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
4	112परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
9	115ङ (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)	
15	115खखङ (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	☐	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
17	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	☐	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	

19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)	
20	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)	
21	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)	
22	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)	
23	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)	
24	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)	
25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
			कुल		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

प्रश्न	1	ब्याज से आय						1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (				2		
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
			क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है					
			ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप					
			ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
			घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3	
	4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय							
		क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	
		I							
		II							
		III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय				4		
5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5		
6	योग (1+2+3+4+5)						6		

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूंजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				

						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अलावा				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
	2.					i	गृह संपत्ति				
						ii	पूंजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						काii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खi	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अलावा				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ►

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची एफएसआई

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम	देश का सं. कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ाळआई में शामिल)	भारत से बाहर से आय संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ाळएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					

		iv अन्य स्रोत					
		कुल					
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।						

अनुसूची टि.आर. भारत से बाहर संदत्त करें के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4 हां / नहीं
	क प्रतिदाय किए गए कर की रकम		ख वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है		

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी व्याज शामिल)										
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
अ2	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता		जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य		अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज राशि जहां अनुसूची पेश की गई है अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज राशि जहां अनुसूची पेश की गई है अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आसृति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आसृति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज राशि जहां अनुसूची पेश की गई है अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम						
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या						
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	गृह संपत्ति					

2	पूँजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
	क्र. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
	(iii)	यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) में रुपए
		(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा राशि भी है)			
		(ख) शेयर और प्रतिभूति			
		(ग) बीमा पालिसी			
		(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
		(ङ) हाथ में नकदी			
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)				

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी. पर कर स्थगन कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं:			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	नि.व. 2021- 22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख	(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)
---	---------	---	---

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9i)	कi	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	कii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	कiii	
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	कiv	
	v कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii + कiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खi	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खii	
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गंध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गंध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13	

14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छ ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	‘संकलित आय’ (12-13+14) [लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व**कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित मंतर कर का 4)	1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)		1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर				
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख		
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)			
			11 Total income			
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose (4 of Schedule E			
			13 ‘Aggregate income’ (8+ 9)			
			14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and 3viii of Schedu			
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग		
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ	
	3	धारा 87क के अधीन रिबेट				3
	4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)				4
	5	अधिभार		उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	
		i	अनुसूची ध.ज के 15(ii) के 25%	5i	iक	
		ii	10% या 15% या 20%, को दर से जैसा 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) , पर लागू, अनुसूची एस आई धारा 115कघ(1)(क) के तहत लाभांश आय तथा भाग-ख- टी आई में शामिल लाभांश आय	5ii	iiक	
		iii	[(4) अनुसूची एसआई का - (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii)]पर	5iii		
		i v	कुल (i + ii + iii)		5iv	
	6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)				6
	7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)				7
	8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम) (8क + 8ख)				8
	8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)				8क
	8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर				8ख

8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)					
10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)					
11	कर राहत					
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क			
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)	11ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)	11ग			
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)	11घ			
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
13	व्याज और संदेय फीस					
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	13क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	13ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234 ग)	13ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ			
	ङ	कुल संदेय व्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)	13ङ			
14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)				10	
15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क			
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख			
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)	15ग			
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ			
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15ङ			
16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।				हां. अथवा नहीं का चयन करें	
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय हेतु खाते पर ☒ करें)	
	i					
	ii					
	नोट:					
	1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।					
ii	(ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.बी.ए. एन	
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बढाई जा सकती हैं					

19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- i (भारत के बाहर स्थित कोई आस्थियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (	☐ हां ☐ नहीं
----	--	---

20	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
टिप्पण भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।					
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
टिप्पण कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें					

ग	कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग)											
क्र. सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रिता का पैना/ आधार सं..	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा				
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						आय	टीडीएस		आय टीडीएस पैना/			

[illegible]

टिप्पण - कृपया भाग ख - टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

घ. स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)					
Sl No	संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम	(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					

स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे

टिप्पण ▶

कृपया भाग ख-ननझ के 11ग में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें➡

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:											
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.						कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम			कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर		
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम											

प्रश्न	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	2	-	2

व्यक्तिगत सूचना	भाग क- जी.ई.एन		साधारण	
	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०		परिसर / भवन / ग्राम का नाम	प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☒ ☐ व्यक्ति ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	सड़क / गली / डाक घर		जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / वः)	
	क्षेत्र / अवस्थान		आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)	
	नगर / शहर / जिला		राज्य	पिन कोड / जिप कोड
		देश		
निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1			मोबाइल नं० 2	

ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2	
(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरणा, ☐ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148	
(ख)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? ☐ हां ☐ नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प ☐ अभी विकल्प चुन रहे हैं ☐ विकल्प नहीं चुन रहे ☐ विकल्प जारी ☐ विकल्प से बाहर		
(खि)	यदि हां, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10-IE भरने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती क्रमांक:
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]		
(गा)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(ग ii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपयोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है?(हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं	
(घ)	यदि पुनरीक्षित/ झुट्टिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)		
(ङ)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिक नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिक नंबर)	/
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी	
		☐ आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] ☐ आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] ☐ आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक। स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(क)] ☐ आप भारत के नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक;या ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(ख)]	
		(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।	
		☐ आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप भारत के नागरिक हे, या भारतीय मूल के व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)]	

		☐ आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के तहत अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के तहत भारत का निवासी माना जाता है। जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित													
	(ग) अनिवासी	☐ आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -													
		क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)					करदाता (ओं) की पहचान संख्या							
		1													
		2													
		(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -													
		पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)					पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)								
	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदु, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) ☐ निवासी ☐ निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं ☐ अनिवासी													
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू) ☐ हां ☐ नहीं														
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)														
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें														
	(1)	प्रतिनिधि का नाम													
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)													
	(3)	प्रतिनिधि का पता													
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या													
(ञ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-														
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध				निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)							
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -														
	फर्म का नाम			स्थायी लेखा सं.											
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।														
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष						वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश		वर्ष के दौरान अंतर्गत अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है ☒ हां ☐ नहीं														

[illegible]

कारबार की प्रकृति	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकाल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)			
क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन	
(i)				
(ii)				
(iii)				

निधियों का उपयोग

1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी	क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
	I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
	II	पूँजी आरक्षिति	खii	
	III	कानुनी आरक्षिति	खiii	
	IV	कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
	V	योग (खi + खii + खiii + खiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2 ऋण निधियाँ			
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
	ii	रूपए में ऋण		
	अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
	आ	अन्य से	iiआ	
	इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
	iii	योग (का + iiइ)	काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
	i	बैंकों से ऋण	खi	
	ii	अन्य से	खii	
	iii	योग (ख i + खii)	खiii	
	ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)	2ग	
	3 आस्थगित कर दायित्व		3	
	4 निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)		4	
1	स्थिर आस्तियाँ			
	क	सकल ०: ब्लाक	1क	
	ख	अवक्षयण	1ख	
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग	
	घ	चल रहा पूँजी कार्य	1घ	
	ङ	योग (1ग + 1घ)	1ङ	
	2 विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान		
	I	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट की गई	का	
	II	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियाँ - कोट न की गई	काii	
	III	योग (का + काii)	काiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान		
	I	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi	
	II	अधिमानी शेयर	खii	
	III	डिबेंचर	खiii	
	IV	योग (खi + खii + खiii)	खiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)	2 ग	
	3 चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम			
	क	चालू आस्तियाँ		
	I	बीजक		
	अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ	
	आ	कच्ची सामग्री	iआ	
	इ	कार्यरत भंडार	iइ	
	ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई	
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)	iउ	
	II	अन्यान्य ऋणी	काii	
	III	नकद और बैंक अतिशेष		

कोई लेखा मामला नहीं

भाग क- विनिर्माण
लेखा

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन						
क	आरंभिक सूची						
	i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i				
	ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii				
	iii	कुल (i + ii)				कiii	
ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)					ख	
ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग	
घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)					घ	
	i	आवक वहन व्यय	i				
	ii	विद्युत आर ईंधन	ii				
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii				
ड.	कारखाने का उपरी खर्च						
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i				
	II	कारखाना किराया और दरें	ii				
	III	कारखाना बीमा	iii				

		Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			
		V	कारखाने का साधारण व्यय	v			
		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
		Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)				ड.vii
	च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)				1च	
2	बंद स्टॉक						
	i	कच्ची सामग्री	2i				
	ii	चालू काम	2ii				
	कुल (2i +2ii)				2		
3	माल उत्पाद की लागू – व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)					3	

भाग -क व्यापारिक लेखा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व					
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो					
		i	माल का विक्रय	i			
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii			
		iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)				
		क	क		iiia		
			ख		iiib		
			ग	कुल (iii क + iii ख)	iiic		
	iv	कुल (i + ii + iii ग)			काiv		
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख		
ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर						
क	i	संघ उत्पाद शुल्क	i				
	ii	सेवा कर	ii				
	iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii				
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	iv				
	v	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v				
	vi	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi				
	vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii				
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii				
	ix	कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गाix		
घ	संक्रियाओं सले कुल राजस्व (कiv + ख+गाix)			4घ			
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5			
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6			
7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7			
8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8			
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9			
व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	क	i	आवक बहन व्यय	9i			
		ii	विद्युत और ईंधन	9ii			
	क	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii			
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।					
	क	i	सीमा शुल्क	10i			
		ii	प्रति शुल्क	10ii			
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		Iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
		V	सेवा कर	10v			
		Vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi			
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	10vii			
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii			
		Ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix			
		X	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x			
		Xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi			
Xii		Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii			
11	माल उत्पाद की लागत – विनिर्माण लेखा से अंतरित			11			

12		कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)				12		
भाग क-लाभ और हानि								
वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 65 भरें)								
लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ					13	
	14	अन्य आय						
	i	किराया			i			
	ii	कमिशन			ii			
	iii	लाभांश आय			iii			
	iv	ब्याज आय			iv			
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ			v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ			vi			
	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ			vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)			viii			
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)			ix			
	x	कृषि आय			x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
		क			xia			
		ख			xib			
		ग	योग (xiक + xiख)		xic			
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)					14xii	
15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)					15		
हानि	16	बहिर्गामी माल भाडा					16	
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग					17	
	18	विद्युत और ईंधन					18	
	19	किराया					19	
	20	भवनों की मरम्मत					20	
	21	मशीनरी की मरम्मत					21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर						
	i	वेतन और मजदूरी			22i			
	ii	बोनस			22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति			22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण			22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदा			22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय			22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय			22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय			22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय			22ix			
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है			22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)			22xi			
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है			xiiक	हां / नहीं		
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम			xiiख			
	23	बीमा						
	i	चिकित्सा बीमा			23i			
	ii	जीवन बीमा			23ii			
iii	कीमेन्स बीमा			23iii				
iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं			23iv				
v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v				
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय					24		
25	मनोरंजन					25		
26	सत्कार					26		

27	सम्मेलन	27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)	28	
29	विज्ञापन	29	
30	कमीशन		
	i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
	ii अन्यो को संदत्त	ii	
	iii योग (i + ii)	30iii	
31	स्वामिस्व		
	i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
	ii अन्यो को संदत्त	ii	
	iii योग (i + ii)	31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस		
	i भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i	
	ii अन्यो को संदत्त	ii	
	iii योग (i + ii)	32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा	33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय	34	
35	विदेशी यात्रा व्यय	35	
36	वाहन व्यय	36	
37	टेलीफोन व्यय	37	
38	अतिथि गृह व्यय	38	
39	क्लब व्यय	39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय	40	
41	छात्रवृत्ति	41	
42	दान	42	
43	संदान	43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)		
	i संघ का उत्पाद शुल्क	44i	
	ii सेवा कर	44ii	
	iii मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii	
	iv उपकर	44iv	
	v केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v	
	vi राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi	
	vii एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii	
	viii संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii	
	ix कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix	
	x कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x	
45	संपरीक्षा फीस	45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	i	i	
	ii	ii	
	iii कुल (i + ii)	46iii	
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)		
	i1	47i1	
	i2	47i2	
	i3	47i3	
	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i	
	ii अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii	
	iii अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii	
	iv कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)	47iv	
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध	48	
49	अन्य उपबंध	49	

कर और विनियोग के लिए उपबंध	50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]					50	
	51	ब्याज						
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i				
		ii	अन्य को	ii				
		iii	कुल (i + ii)				51iii	
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण					52	
	53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)					53	
	54	चालू कर के लिए उपबंध					54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान					55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)					56	
उपधारात्मक मामले	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष					57	
	58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)					58	
	59	आरक्षिति और अधिशेद के लिए अंतरित					59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रनीत अतिशेष (58 –59)					60	
	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना						
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण			
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्ति (ik + iख)			61i		
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	ik				
	(ख)	कोई अन्य रीति	iख					
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधारणात्मक आय (iiक + iiख)			61ii			
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiक					
	(ख)	61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	iiख					
	टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्ति/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आजापक है ।							
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपदाराणात्मक आय की संगणना							
	क्रम सं.	कारबार का नाम	काराबार कोड	विवरण				
	(i)	सकल प्राप्ति			62i			
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणत्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)			62ii			
	टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आजापक है ।							
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना							
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण				
	क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिट्रीक टन में)	मालीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था ।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रुप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जोभी अधिक हो		
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	(क)							
	(ख)							
		कुल						
	आवश्यकतानुसार पंक्ति में व्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]					63(iii)		
टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहति से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा रखना आजापक है ।								

लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।		
		(i) कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	सकल प्रामियाँ (क1 + क2)	i क	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1	
	2	कोई अन्य रीति	क2	
	ख	सकल लाभ	i ख	
	ग	व्यय	i ग	
	घ	शुद्ध लाभ		64i
		(ii) वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	कुल प्रामियाँ (क1 + क2)	ii a	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1	
	2	कोई अन्य रीति	क 2	
	ख	सकल लाभ		
	ग	व्यय		
	घ	शुद्ध लाभ		64ii
		(iii) कुल लाभ (64i + 64ii)		64iii
	65	I	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत	65i
		II	सकल लाभ	65ii
		III	खर्च यदि कोई हो	65iii
		IV	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)	65iv

भाग क - अन्य जानकारी अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें)		
		☐ वाणिज्यिक ☐ नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--		
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें		
क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iia)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आर अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट	
ठ	हूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	हूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की बाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
द	कोई अन्य नामजूरी	6 द	
ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)	6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	
ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख	

	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अनुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (iiक)]	अच		
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज		
	झ	कोई अन्य नामजूरी	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)		8अज	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				8आ
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य नामजूरी	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)		9च	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमवद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर व्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर व्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मुल्य वर्धित कर / विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य करम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15
16	धारा 14क के अधीन नामजूर व्यय की रकम				16
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां नहीं ☐ [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17

भाग क-मात्रात्मक व्यौर		मात्रात्मक व्यौर (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)			
मात्रात्मक व्यौर	(क)	किसी व्यवसाय समुल्यान की दशा में			
		1	आरंभिक स्टाक	1	
		2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2	
		3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3	
		4	अंतिम स्टाक	4	
		5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5	
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुल्यान की दशा में			
		6	कच्ची सामग्री		
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार माल	6च	
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
		ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज	
	7	तैयार माल / उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	

	च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	
--	---	------------------------	----	--

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन	नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) ☒ (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)		
	नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड		
	1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
		क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क			
		ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख			
		ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग			
		घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ			
		ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ			
		(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)				2		
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा				2क		
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)				3		
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)				4		
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)				5		
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क				
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख				
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग				
6	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)				6		

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I					
	II					
		लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपयोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
	I					
	II					

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य	1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च	
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)		
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)		
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			
	☒ लागू विकल्प पर का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)
I			
II			
	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ज)	2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *	3	
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।		
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है		

किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची – कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) [अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv] कोई लेखा मामला न होने के मामले में	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कष के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख	
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखख के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के अधीन
		च	115खखख के अधीन
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क	
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन))	4ख	
5	1 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
क	फर्मों से आय का अंश	5क	
	ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)	
	i	ग i	
	ii	ग ii	
	iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii
घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ	
6	शेष (1- 2 क- 2 ख- 3 क- 3 ख- 3 ग- 3 घ- 3 च - 4क- 4ख- 5 घ)	6	
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखख के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के अधीन

		च	115खखख के अधीन	7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है			8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखों में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)				10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)		12i			
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)		12ii			
	iii कुल (12i + 12ii)				12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)				13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)		14			
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)		15			
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)		16			
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)		17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)		18			
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज		19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय		20			
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 कखघ / 80-1क के अधीन समझी गई आय		21			
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय		22			
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें		23			
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)		24			
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की प्रवृत्ति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णड के स्तंभ 3क + 4ख)		25			
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती		27			
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची डधद की मद 10(41) यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)		28			

29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	30		
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31		
32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची ण्ड के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32		
33	कुल (27+28+29+30+31+32)			33
34	आय (13+26-33)			34
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	35i		
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	35ii		
	iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii		
	iv धारा 44ख	35iv		
	v धारा 44खख	35v		
	vi धारा 44खखक	35vi		
	vii धारा 44घक	35vii	(प्ररूप उ ग ड की मद ण)	
	viii कुल (35i to 35vii)	35viii		
36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)			36
37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)			क 37
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख		
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग		
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ		
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड		
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च		
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख- (37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]			38
आ सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)			39
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			40
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			41
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)			ख 42
इ धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा(i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)			45
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)			46
47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ			47
48	अनुमानित कारबार से आय (45 - 46) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)			ग 48

	49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)			ग49	
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47) कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय	D			घ	
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष					
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय	
			(1)			
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)		
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)			
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)			
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)				
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i – iv)				
टिप्पण		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
	3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				

12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)								
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन								
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन								
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण								
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण								
12	कुल अवक्षयण। (10+11)								

13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्या (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची -आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी					
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागु)	1क			
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागु)	1ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागु)	1ग			
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ			
		ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ड	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)					
		क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क			
		ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख			
		ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग			
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)			3		
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)			4		
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागु)			5		
	6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6		

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क			

	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1 घ)			
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)				6

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पणः धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)				

अनुसूची पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

अ अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)				
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)		
		क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष		तिथि/माह/वर्ष
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य	क i	
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii	

	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों को						क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ							
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख					ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख ii	
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख iii	
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय					ख iv	
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)					ख v	
ग	शे-न (क iii – ख v)						1 ग	
घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 छ क						1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)						क	
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें							
	क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	
	टिप्पण ► पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है।							
2	विक्रय गिरावट से							
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य			2 क	(प्ररूप 3 ज ड क का 5)		
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति			2 ख	(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड)		
ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)							क
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के							
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				3 क		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से					ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख iii
		iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय					ख iv
		v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)					ख v
	ग	शे-न (3 क – ख v)						3 ग
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब					3 घ	
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी						क 3
4	अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय							*
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)					क 4	
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)					A4 ख	
5	अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन							
	क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं,					
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की				क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य				ख	
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए				ग	
	ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न				क ii		
	iii	कुल (ग + ii)				क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम					ख i
		ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख ii
		iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख iii
iv		अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय					ख iv	
v		योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)					ख v	
ग	शे-न (5 क iii – ख v)						5 ग	

6	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/	5 घ	
	ड एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (उपर क 3 से	क 5	
उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
क	I आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित		
	क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क	
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
	ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii कुल (ग + ii)	क iii	
	ख धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v	
ग शे-1 (6क iii – ख v)			
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/	6 घ	
	ड अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड	
	च धारा के अधीन कटौति 54 ग /54 छ /54 छ क	6 च	
	छ उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी	क	
7 लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?		
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्ति	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ग में कटौती का दावा किया गया है
	i	2017-	54घ/54छ/54छक
	ii	2018-	54ख
			नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं
			वर्ग जिसमें आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं हैं
			पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि
			नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई
	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी		
	ग अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार लघुकालिक पूंजीगत		ग
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख + ग)			
8 लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची सीटीआई 1 में) (क8क+8कख+क8ग)			
क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य	क8 क	
	ख लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य	क8 ख	
	ग लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 25% की दर से प्रभार्य	क8 ग	
9 एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है			

	क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डी ए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि प्रभार्य है))	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर I(6) या (9) के नीचे		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									क 9	
	ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की									क 9	
	10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख +									क	
ख दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (एल टी सी जी)	(उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 नेवासियों में लागू नहीं है)											
दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे										
		क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष	क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण तिथि/माह/वर्ष	तिथि/माह/वर्ष							
	क	i	प्राप्त/प्राप्त प्रतिकर पूर्ण मूल्य						क i			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति						क ii			
		iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क ii) के (क i) से 1.10 गुणा न होने की दशा में						क iii			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ										
		i	अधिनियम की धारा 48 के खंड (iii) नियमों के विनाश के साथ प्रतिफल के अनुसार						ख i			
		ii	अधिग्रहण की लागत						ख ii			
		iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत						ख iii			
		iv	उन्नति की लागत						ख iv			
		v	उन्नति वर्ष						ख v			
		पंक्ति सम्मिलित करें										
		vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत						ख vi			
		vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप						ख			
		viii	योग (ख ii + ख v + ख vi)						ख vii			
		ग	शेन (क iii - ख viii)						1 ग			
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54ज/54झ/54ञ के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में						1 घ			
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)									ख 1
		च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे									
			क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पेन/आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड			
		टिप्पण ►	पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर									
		2	विक्रय गिरावट से									
			क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						2 क	(प्ररूप 3 गड़क का 5)	
			ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति						2 ख	(प्ररूप 3 गड़क का 6 (ङ))	
		ग	शेन (2 क - 2 ख)						2 ग			
		घ	धारा 54ङ ग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद						2 घ			
		ङ	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (2 ग -2 घ)									ख 2
	3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों										
		क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य						3 क			
		ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii			
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय						ख iii			

		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (3 क - ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	3 घ	
	ङ	बन्ध पत्रों या डिबेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)		ख 3
4		(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है (iii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का		
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (4 क - ख iv)	4 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	4 घ	
	ङ	उपर ख 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 ग - 4 घ)		ख
5		किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112 क के अधीन		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची	5 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	5 ख	
	ग	ऊपर ख 5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख 5 ग
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	6 ख	
	ग	शेयर या डिबेन्चर पर एलटीसीजी (6 क - 6 ख)		ख 6 ग
7		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का न जी सी आर के विक्रय से		
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध	i क	
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	i ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड (III) नियमों के नियम 8 क ख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख v	
	ग	शेन (क iii - ख v)	7 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	7 घ	
	ङ	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख
8		अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुख निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी	8 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	8 ख	
	ग	ऊपर ख 8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8 क -		ख 8 ग
9		अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7 क के अधीन		
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (	9 क	
	ख	धारा 115 च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में	9 ख	

				ग	विनिर्दि-ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क – 9 ख)		ख 9	
				घ	विनिर्दि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर	9 ग		
				ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ	9 ङ		
				च	विनिर्दि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ – 9 ङ)		ख 9	
10		उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से						
क		i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे					
	क	ख	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	ik				
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix				
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig				
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		क ii				
		कुल (ig + ii)		क iii				
		धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती		ख i				
		अधिग्रहण की लागत		ख ii				
		अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत		ख iii				
		उन्नति की लागत		ख iv				
		उन्नति वर्ष		ख v				
		संक्ति सम्मिलित करें						
		सूचीकरण के साथ उन्नति लागत		ख vi				
		हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय		ख vii				
		योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)		खviii				
		ग	शे-1 (10 क iii – ख viii)		10 ग			
	घ	धारा 54 घ / 54 च /54 छ /54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिर्दि-ट करें)		10 घ				
ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (10ग - 10घ)					ख 10ङ		
11	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि							
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं							
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि			
	i	2017-18	54/54घ/54छ/54जक					
	ii	2018-19	54ख					
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि							
ग	अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की मानी गई राशि						ग	
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xi+ख+ग)						ख11	
12	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2+ख12ब)						ख12	
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय			ख12क1			
	क2	धारा112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय			ख12क2			

ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य							ख12ख		
13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है									
	क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर ((6) या (9) के नीचे))
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख13क
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम									ख13ख
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9घ + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)									ख14
ग	“ पूंजी अभिलाभ ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)									ग
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना									
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित व्योरे दें									
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये आवासीय घर की लागत					क ii			
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					क v			
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये कृषि भूमि की लागत					ख ii			
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ख iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					ख v			
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत					ग ii			
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ग iv			
	v	दावाकृत कटौती की रकम					ग v			
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती									
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					घi	दिन/मास/वर्ष		
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम					घii			
	iii	विनिधान की तारीख					घiii	दिन/मास/वर्ष		
	iv	दावाकृत कटौती की रकम					घiv			

	ड	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती										
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ड i	दिन/मास/वर्ष							
			ii	नये आवासीय घर की लागत	ड ii							
			iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	ड iii	दिन/मास/वर्ष						
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ड iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ड v									
	च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती										
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन/मास/वर्ष							
			ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	च ii							
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	च iii	दिन/मास/वर्ष						
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	च iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	च v									
	छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती										
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छ i	दिन/मास/वर्ष							
			ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छ ii							
			iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छ iii	दिन/मास/वर्ष						
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छ iv							
	v	दावाकृत कटौती की रकम	छ v									
	ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)										
		i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष							
ii			नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii								
iii			विनिर्हित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष							
iv			दावाकृत कटौती की रकम	ज iv								
इ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ +1ङ +1च + 1 छ + 1ज)	1 इ										
2	धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें											
उ	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)											
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)		
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें			
			1	2	3	4	5	6	7		8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ13ख			
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)									

iii	अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)							
v		डीटीएए दरें	अ9ख*							
vi		10%	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)							
Vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड* + आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11* + आ12ख*)							
Viii		डीटीएए दरें	आ13ख							
Ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शे-1 हानि (i – ix)									
इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
ऊ	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)		
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों									
5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									

7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पण▶	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					

[illegible]

[illegible]

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	काii	
ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	1ख	
i	बचत खाते से	खi	
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii	
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
iv	पास धु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv	
	10(12)		
vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
ix	अन्य	खix	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
1	परिवार पेंशन		
2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय		
3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)	2	
क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहली आदि से जीत से आय	2क	
ख	धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	

	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष				2ग
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घा से घxix का योग)				2घ
	i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घi		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii		
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv		
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv		
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi		
	vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii		
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	घviii		
	ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix		
	x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx		
	xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi		
	xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii		
	xiii	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxiii		

	xiv	एफ.आई.आई द्वारा बंधपत्रों या धारा 194 ठग में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आय - धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiv							
	xv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खक के अधीन प्रभार्य	घxv							
	xvi	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	घxvi							
	xvii	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvii							
	xviii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	घxviii							
	xix	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	घxix							
	xx	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxx							
	xxi	धारा 115कघ(1)(i) के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxxi							
	Xxii	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जीडीआर के लाभांश पर आय	घxxii							
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति की पास थु आय (डाउनलोड का उपबंध किया जाना है)									2ड
च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)									2च
3	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ & 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
	क(i)	व्यय/कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)					3क(i)			
	क(ii)	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)					3क(ii)			
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)					3ख			
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग			
	ग i	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि					3ग i			
	घ	योग					3घ			

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5	
5क	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए	6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)					8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय						
	2	क्रम सं. 1a(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3	धारा 115क(1)(a)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
	5	धारा 115गक (1)(a) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	6	धारा 115A(1)(a)(ii)कग के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी टी आई आय शामिल)						
	7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						

	8	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के तहत कराधान से राहत के लिए दावा नहीं					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
टिप्पण ►	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

**अनुसूची
सी.वाई.एल.ए**
चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2v)	(अनुसूची ण द का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क38)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	डीटीएए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग ष की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ण ध का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ण ध का 8 ड)				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य खोतों से आय	(अनुसूची ण ध का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए

पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि स ट ट ोबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या स ट ट ोबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(बुड़ दोड़ों से ख / च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य खोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत					
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
i	2010-11										
ii	2011-12										
iii	2012-13										
iv	2013-14										
v	2014-15										
vi	2015-16										
vii	2016-17										
viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
xiv	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xv	2022-23 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख43, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग49, यदि ve))	(2x + 3x + 4x + 5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x + 7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - वीई)	

हानियों का अग्रनयन

xv	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि								
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची अ.अ धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव	
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	लेखा नीति		
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)		
III	संनिर्माण संविदाएं		
IV	राजस्व मान्यता		
V	मूर्त नियत आस्तियां		
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन		
VII	सरकारी अनुदान		
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)		
IX	उधार लेने की लागत		
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था		
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)		
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)		

अनुसूची - 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क्र.स	उपक्रम	वह निश्चरण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम	
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)				ग

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम

		नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

80झझक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)							
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची द क अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (ii)क) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]							
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम	
			नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						

अनुसूची - 80झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां			
क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क ₁ + क ₂)				ख

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(4)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
	ख	मल्टीप्लैक्स थिएटरों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(7 क)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	ग	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियाँ [धारा 80झख(7ख)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	घ	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ	घ 1	उपक्रम संख्या 1	उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

	कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ङ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
च	पड्डुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11क)]	च 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	छ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11ख)]	ज 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती [धारा 80झख(11ग)]	झ 1	उपक्रम संख्या 1	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
		झ 2	उपक्रम संख्या 2	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
ञ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से झ2 का योग)			

अनुसूची-80- झग और 80झड

धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियाँ

धारा 80अख के अधीन कटौतियाँ

क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			क1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
				क2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			ख1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
				ख2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
				ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद	
घ पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ							
घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
		घक2	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
		घख2	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
		घग 2	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
		घघ2	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या				(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)

			घड2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घच	नागालैड		घच1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
			घच2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घछ	त्रिपुरा		घछ1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
			घछ2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घजपूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)						घज	
ड	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ+ ग + घज)					ड	

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियों

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती					
क	80ग		ख	80गगग		
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)		
ङ	80गगघ(2)		च	80घ		
छ	80घघ		ज	80घघख		
झ	80ङ		ञ	80ङङ		
ट	80ङङक		ठ	80ङङख		
ड	80छ		ढ	80छछ		
ण	80छछक		त	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)					1	
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती					
	थ	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ड)			
	द	80- झकख				
	ध	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)			
	न	80- झखक				
	प	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)			
	फ	80जजक				
	ब	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5I(Aiv) +5II			
	भ	80 थथख				
	म	80 ददख				
भाग ग के अधीन कुल कटौती (थ से म का योग)					2	
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती					
i	80 ननक		ii	80ननख		
iii	80प					
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii और iii का योग)					3	
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियों (1+2+3 का योग)				4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियाँ

1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1	
2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन ड 80 झकख		
क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियों " अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क	
ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख	
ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग	
घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)	3	
3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एक एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख	
4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क)+ 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रु. से)	4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1				
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतम कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)		

						(ग)
I	2013-14					
Ii	2014-15					
Iii	2015-16					
Iv	2016-17					
V	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
Ix	2021-22					
x	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
xi	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पित निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट					6

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यस्क बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घix का भाग)	
7ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घxxi का भाग)	

8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
10	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)	
11	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एस.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एल.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	10	(अनुसूची ण.ध के 2क का भाग)	
15	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	☐	60	(अनुसूची ण.ध के 2ख का भाग)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3ड)	
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvi)	
17	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ख.त का 3च)	
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvii)	
18	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ण.ध के 2घviii का भाग)	
19	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ण.ध के 2च का भाग)	
20	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	☐	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
21	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्थ	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
22	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ	☐	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
23	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ		10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
24	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	
25	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग सुविधि में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ण.ध का 2ड)	
			योग		

अनुसूची-आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

क्रम	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां या नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31. मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय					1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii		
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेमित कृषि हानि			iii		
		iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं.. 39)			iv		
		v	वर्ष) i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (				2	
		vi	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित व्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक्तया व्यौरे भरें)					
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
		ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश					
		ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (झाप डाउन उपबंधित किया जाए)					
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (झाप डाउन उपबंधित किया जाए)					
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					3	
	4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है						
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)
		I						
		II						
		III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है					4
5	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)					5		
6	योग (1+2+3+4+5)					6		

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8)	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य खोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23खख) के अधीन				
					ख	धाराके				

						अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
2.					i	गृह संपत्ति				
					ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य				
					iii	अन्य स्रोत				
					क	लाभांश				
					ख	अन्य				
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23खख) के अधीन				
					ख	धाराके अधीन				
					ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।										

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और एस अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाख का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम संख्या						
	9	जमा की गई राशि						

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)										
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टाऊआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपल्बध कर राहत (ङ)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ाऊए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1				i	वेतन				
				ii	गृह संपत्ति					

			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।									

अनुसूची- टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करें के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	योग				
2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 (घ) के योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 (घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4
	क	कर प्रतिदाय की रकम		ख गई हैं	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।					

अनुसूची- वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1		धारित विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी व्याज शामिल) लेखांकन अवधि के दौरान किसी समय पर [कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) वित्त वर्ष के बजाय (अप्रैल से मार्च)]									
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)												
(ii)												
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्ति या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ङ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
(i)											
(ii)											
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।										
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
(i)											
(ii)											
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है										

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार					
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					हाँ/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।					हाँ/नहीं
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए ट 0 ाळडीएस की रकम	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित ट 0 ाळडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूंजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची क.ठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थायर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)			

	(ख) शेयर और प्रतिभूतियां	
	(ग) बीमा पॉलिसी	
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन	
	(ङ) हाथ नकदी	
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज	
क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या
(1)	(2)	(3)
(i)		
(ii)		
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व	

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची जी.एस.टी जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।

अनुसूची : ई एस ओ पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	नि.व. 2021-22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	स ट त ट ो के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i	
	ii	स ट त ट ो के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख त के ड 3 और 3 च)	3iv	
	v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
	4	पूँजी अभिलाभ		
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i	
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii	
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9iv)	क iii	
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv	
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v	
	ख	दीर्घकालिक		
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	खi	
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	खii	
	Iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	खiii	
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4खiv	
	ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4 ग	
	5	अन्य स्रोतों से आय		
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क	
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख	
	ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग	
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ	
	6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v +4 ग +5 घ)	6	

7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]	12क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
	ग कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित	12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग-13)	14	
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)	18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व **कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग	
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख	
		ग	कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का (14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)	2घ	
		ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट	2ड	
		च	रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)	2च	
		छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार
		i	अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i	iक
		ii	अनुसूची एस आई की 2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% या 20% की दर पर	2छ ii	iiक

		iii	(2च) - (अनुसूची एसआई के 17(ii), 2(ii), 3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii)) पर	2छ iii			
		iv	कुल (ik + iik)	2छiv			
	ज		स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)	2ज			
	झ		कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)	2झ			
3			कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)	3			
3क			धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोजता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर	3क			
3ख			धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोजता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर	3ख			
4			पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)	4			
5			धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)	5			
6			कर राहत				
	क		धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क			
	ख		धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख			
	ग		धारा 91 (अनुसूची ल.द का 3)	6ग			
	घ		कुल (6क + 6ख + 6ग)	6घ			
7			शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)	7			
8			व्याज और फीस देय				
	क		विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क			
	ख		अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग		अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ		आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड		कुल व्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ड			
9			औसत दायित्व (7 + 8ड)	9			
10			संदत्त कर				
	क		अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क			
	ख		स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख			
	ग		टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7)	10ग			
	घ		स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ			
	ड		संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)	10ड			
11			संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट ट करें)	11			
12			प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12			
13			क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें
i.	क		पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का व्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .		खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं)एक खाता पर निशान लगाएं(	
	i						
	ii						

नोटः 1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए 2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा					
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है					
ii. ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं					
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएन
	1.				
14 क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं) ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (					☐ हां ☐ नहीं

15		यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:									
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.		कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम				कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर					
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		16									
17		अनुसूची-आयकर									
क		आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)				चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)			
	(1)	(2)	(3)				(4)	(5)			
	i										
	ii										
	iii										
	iv										
टिप्पण ►		भाग ख - ट ाळ ट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।									
ख		वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]									
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम				वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर			
	(1)	(2)	(3)				(4)	(5)			
	i										
	ii										
टिप्पण ►		कृपया भाग ख - ट ाळ ट ाळआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें ।									
ग		स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख / 16ग/16घ के अनुसार]									

क्रम.सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरादार या क्रेता का पैन/ आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस		मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टी.डी.एस कटौती)		इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।		प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण		टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।		
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	वर्ष जिसमें आय/ परिग्रह दी गई		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैन/ आधार संख्या					
i														

टिप्पण ► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग – ख –टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)								
टीसीएस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रनीत किया गया अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्तयी वर्ष का ट 0ाळसीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)	अग्रनीत की जा रही (5) या (6) से रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रण किया गया	रकम बी एफ			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
टिप्पण		▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।						

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख

हस्ताक्षर

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी [ऐसे व्यष्टिकों, हिन्दू अवियक्त कुटुम्ब और फर्मों (एलएलपी से भिन्न) के लिए जो निवासी हैं और जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी आयकर गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कड के अधीन की जाती है।] [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो कि कंपनी का निदेशक हो या जिसने असूचीबद्ध इक्विटी शेयरर्स में निवेश किया हो या जिसके ई.एस.ओ.पी पर आयकर स्थगन हो या जिसकी कृषि आय रु. 5000 से अधिक हो।] (पात्रता के लिए अनुदेश)	निर्धारण वर्ष 2022-23
-------------------	--	-----------------------

भाग क साधारण जानकारी			
(क 1) प्रथम नाम	(क 2) मध्य नाम	(क 3) अंतिम नाम	(क 4) स्थायी लेखा संख्या

(क 5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)										(क 6) प्लैट/द्वार/भवन												
(क 7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम										(क 8) मार्ग/गली/डाक-घर												
(क 10) नगर/शहर/जिला										(क 11) राज्य												
(क 12) देश										(क 13) पिन कोड/ज़िप कोड												
(क 14) आधार नम्बर (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)										(क 15) प्राप्ति												
										☐ व्यष्टि ☐ हि.अवि.कु. ☐ फर्म (एलएलपी से भिन्न)												
(क 16) मोबाईल नं० 1 निवास/कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०										(क 17) मोबाईल नं० 2												
(क 18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)																						
										ई मेल पता - 2												
(क 19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्र सरकार ☐ राज्य सरकार, ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ पेंशनभोगी ☐ पेंशनभोगी -सी जी ☐ पेंशनभोगी -एस जी ☐ पेंशनभोगी -पी.एस.यू. ☐ पेंशनभोगी - अन्य ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)																						
(क 20) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं)										☐ 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, ☐ 139(4) नियत तारीख के पश्चात्, ☐ 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 119 (2)(ख)-विलंब की माफी के पश्चात्												
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई										☐ 139(9) ☐ 142 (1) ☐ 148												
(क 21) यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)										/ /												
(क 22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।										/ /												
(क 23) क्या आपने धारा 115खक के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तथा नि.व. 2021-22 में प्रपत्र 10अड दाखिल किया है? ☐ हां ☐ नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प ☐ अब चुन रहे हैं ☐ नहीं चुन रहे हैं ☐ चुनना जारी ☐ बाहर निकल रहे हैं "नहीं चुनने" के अतिरिक्त कृपया प्रपत्र 10अड दाखिल करने की तिथि पावती संख्या से साथ प्रस्तुत करें																						
(क 24) क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परन्तु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? फर्म के मामले में लागू नहीं) - (✓) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]																						
(i) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)										(यदि हां है तो) रकम (₹)												
(ii) क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?										(यदि हां है तो) रकम (₹)												
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)										(यदि हां है तो) रकम (₹)												
क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)										(चिह्न) ☐ हां ☐ नहीं												
(क 25) क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है ☐ हां ☐ नहीं ☐ यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -																						
(1) प्रतिनिधि का नाम																						
(2) प्रतिनिधि की हैसियत																						
(3) प्रतिनिधि का पता																						
(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार																						
भाग ख - सकल कुल आय										केवल संपूर्ण (₹) में												
ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें)										ख1											
ख2	i सकल वेतन (ik + ix + ig + 1घ + 1ड)										i											
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन										ik										
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य										ix										
	ग	धारा 17(3) के अनुसार										ig										
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय										1घ										
	ड	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय										1ड										

	ii	धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]	ii	
	iiक	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	iiक	
	iii	शुद्ध वेतन (i-ii- iiक)	iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv	
		क धारा 16(iiक) के अधीन मानक कटौतियां	ivक	
		ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
		ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग	
	v	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)	ख 2	
ख3		लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझी गई ☐		
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य	i	
	ii	स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii	
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii	
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv	
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v	
	vi	वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	vi	
	vii	'गृह संपत्ति' शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।	ख 3	
ख4		अन्य स्रोतों से आय (ड्रापडाउन जैसे बचत खाते, जमा आदि से ब्याज ई-फाइलिंग उपयोगिता में विहित आय की प्रकृति और लाभांश आय और धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में धारा 234ग से अनुप्रयोज्य राहत के लिए अनुमेय तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।) -- टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो		
		कम करें: धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)		
		कम करें: धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	ख4	
ख 5		सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4) क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें	ख 5	

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों का पालन करें)

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	
ग 7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 8	80 घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 9	80ङ		
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख		
ग 13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	ग 14	80छछ		ग 15	80छछग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)	
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		

ग 19	कुल कटौतियाँ (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)	ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)	ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति				
घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1		
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2		
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3		
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4		
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5		
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10इ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6		
घ 7	राहत के बाद अतिशेष (घ 5 - घ 6)	घ 7		
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8		
घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9		
घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10		
घ 11	धारा 234च के अधीन शुल्क	घ 11		
घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12		
घ 13	संदत कुल अग्रिम कर	घ 13		
घ 14	संदत कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14		
घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15		
घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16		
घ 17	कुल पूर्व संदत कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17		
घ 18	कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18		
घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19		
घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण - यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउनलोड का उपबंध करें)	घ 20		
घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण			
बैंक खाता	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या
	i			
	ii			
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुबिध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।				

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के व्यौरे				
धारा 44कघ के अधीन उपधारात्मक कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन	
(i)				
ड 1	सकल आवत या सकल प्राप्तियाँ			
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलेक्ट्रानिक मोड प्राप्त किया गया	ड 1क	
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधारात्मक आय			
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क	
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख	
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग	
	नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			

धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना					
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन		
(i)					
ड 3	सकल प्राप्तियां	ड 3			
ड 4	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कघ के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है	ड 4			
धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना					
क्र.सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन		
(i)					
	माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं०	क्या स्वामित्व/पट्टे पर/ या किराए पर है?	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी० ट० में)	माह की संख्या जिसके लिए निर्धारिती ने माल वाहक का स्वामित्व /किराए पर या पट्टे पर है ?	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी० ट० से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)					
(क)					
(ख)					
आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।	ड 5			
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण— यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	ड 6			
ड 7	धारा 44 कड (ड5 - ड6) के उपधारणात्मक आय	ड 7			
ड 8	बिजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभावी आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)	ड 8			
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना टिप्पण- प्रत्येक जी.एस.टी.आइ.एन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-					
ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)	ड 9			
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	ड 10			
कारबार की वित्तीय विवरणियां टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)					
ड 11	पूँजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य	ड 11			
ड 12	निश्चित ऋण	ड 12			
ड 13	अनिश्चित ऋण	ड 13			
ड 14	अग्रिम	ड 14			
ड 15	नानाविध ऋणदाता	ड 15			
ड 16	अन्य देनदारियां	ड 16			
ड 17	कुल पूँजी एवं देनदारियां (ड 11 + ड 12 + ड 13 + ड 14 + ड 15 + ड 16)	ड 17			
ड 18	अचल परिसंपत्तियां	ड 18			
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)	ड 19			
ड 20	नानाविध कर्जदार	ड 20			
ड 21	बैंकों के साथ शेष	ड 21			
ड 22	नकद	ड 22			
ड 23	ऋण तथा अग्रिम	ड 23			
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां	ड 24			
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (ड 18 + ड 19 + ड 20 + ड 21 + ड 22 + ड 23 + ड 24)	ड 25			
नोट	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ई15, ई19, ई20, ई22 अनिवार्य है और अन्य यदि उपलब्ध हैं)				

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के व्यौरे																		
	बीएसआर कोड (स्तंभ 1)					निक्षेप की तारीख (स्तंभ 2)					चालान सं. (स्तंभ 3)			संदत्त कर (स्तंभ 4)				
आर 1																		
आर 2																		
आर 3																		
टिप्पण▶ घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।																		

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का व्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के व्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶ कृपया घ16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें					

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 - वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के व्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
	कर कटौती खाता संख्या (टैन) स्तंभ (1)	नियोजक का नाम स्तंभ (2)	वेतन के अधीन आय स्तंभ (3)	कटौती किया गया कर स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण-- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।				

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के व्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग और प्ररूप 16घ के अनुसार]							
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन/ आधार सं.	अग्रपित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती	चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया)	प्रस्तुत तदनुसूची रिसीट/ आहरण	अग्रपित स्रोत पर कर कटौती	
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अग्रपित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							
टिप्पण ▶ कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।							

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आवंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान तारीख यहां हस्ताक्षर करें

केवल शासकीय कार्य के लिए

यहां प्राप्ति नं० की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और व्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

प्ररूप आ.क.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी		निर्धारण वर्ष					
	(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)		2	0	2	2	-	2

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	(क1)नाम		(क2) स्थायी लेखा संख्यांक	
	(क3)क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें		(क4) एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,	
	(क7)फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं0	(क8)परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5)विरचना की तारीख (दि.मा.व)	
			(क6)कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)	
	(क9)सड़क/गली/डाकघर	(क10) क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारवार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),	
	(क11)नगर/शहर/जिला	(क12)राज्य	(क13)पिनकोड/ जिप कोड	
		(क14)देश		
	(क15)निवास/कार्यालय का फोन नं0 एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं0 1		(क16)मोबाइल सं0 2	
	(क17)ई-मेल पता-1		(क18)ई-मेल पता-2	
	फाइल करने की प्रास्थिति	(क19 का)	धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।
(कii)		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148	
(कiii)		क्या आप एक कारवार न्यास हैं?	☐ हां ☐ नहीं	
(कiv)		क्या आप धारा 115पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	☐ हां ☐ नहीं	
(ख)		यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं0 और फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-1)	/ /	
(ग)		यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148 के अंतर्गत नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर/ दस्तावेज पहचान संख्या(डी.आई.एन)और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें	(यूनिक नंबर)	/ /
(घ)	क्या आपने धारा 115खकघ के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है तथा नि.व. 2021-22 में प्रपत्र 10झड दाखिल किया है ? ☐ हां ☐ नहीं यदि नहीं, निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प ☐ अब चुन रहे हैं ☐ नहीं चुन रहे हैं			

(घ1)	यदि हां अथवा “चुन रहे हैं”, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10 झ दि/मा/व	पावती क्रमांक:
(ङ.)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ निवासी ☐ अनिवासी		
(च)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं		
(छ)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	☐ हां ☐ नहीं	
(ज)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें		
(झ)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	☐ हां ☐ नहीं	
(ञ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें		
(ट)	(i) अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं (अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी.) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं		
(ठ)	यदि हां, कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(ख) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या		
(ड)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।		
(ढ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--		
	(1) प्रतिनिधि का नाम		
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राफ्ट डाउन उल्लिखित करें)		
	(3) प्रतिनिधि का पता		
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या		
(ण)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
	फर्म का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक	
(त)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है ? (निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें		
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक
	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश	वर्ष के दौरान अंतरित अंश
	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या
	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)
	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या
	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1 क	1 ख	2
	3	4	5
	6	7	8
	9	10	11
	12	13	
क	क्या आप धारा 44क के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं		
क 2	क्या निर्धारिती केवल 44कघ/ 44कच/ 44कड / 44ख / 44खख के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं		
क2i	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (चिन्ह) ☒ ☐ हां ☐ नहीं ☐ टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं ☐ टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक		
क2ii	क2: यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्तियां अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी डी उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) ☒ ☐ हां ☐ नहीं		
क 2iii	क2: यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक/ डी डी पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (चिन्ह) ☒ ☐ हां ☐ नहीं		
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)		
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं आकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं,		
	(i) संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /		
	(ii) कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(iii) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(iv) लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		

[illegible]

		(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
		(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
	क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
	(i)			
	(ii)			

भाग क- दीएस 31 मार्च, 2022 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत		
	1	भागीदार/सदस्यता निधि		
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी	क	
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष-		
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
	ii	पूंजी आरक्षिति	खii	
	iii	कानूनी आरक्षिति	खiii	
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष-	खv	
	vi	योग (खi+खii+खiii+खiv+खv)	खvi	
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क + खvi)	1ग	
	2	ऋण निधि		
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी करेंसी में ऋण	का	
	ii	रुपए में ऋण		
		अ बैंकों से	iiअ	
		आ अन्य से	iiआ	
		इ योग (iiअ+iiआ)	iiइ	
	iii	कुल प्रतिभूत ऋण (का+ii इ)	कiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)		
	त	विदेशी मुद्रा ऋण	का	
	त्	रुपया ऋण		
		अ बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ	
		इ अन्य से	iiइ	
		ई कुल रुपया ऋण (ii+त+ii+त+ii इ)	iiई	
	iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)	खiii	
	ग	कुल ऋण निधि (कiii + खiii)	2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व		3
	4	अग्रिम		
	i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i	
	ii	अन्य से	ii	
	iii	कुल अग्रिम (i+ii)	4iii	
	5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)		5
निधियों का उपयोग	आ	निधियों का उपयोग		
	1	नियत आस्तियां		
	क	सकल :ब्लॉक	1क	
	ख	अवक्षयण	1ख	
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग	
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
	ङ	योग (1ग+1घ)	1 ङ	
	2	विनिधान		
	क	दीर्घकालिक विनिधान		
	i	संपत्ति में विनिधान	i	
	ii	साम्या लिखत		
		अ सूचीबद्ध साम्या	iiअ	
		आ असूचीबद्ध साम्या	iiआ	
		इ योग	iiइ	
	iii	अधिमानी शेयर	iii	
	iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv	
	v	डिविडेंड या बंधपत्र	v	
	vi	पारस्परिक निधियां	vi	
	vii	अन्य	vii	

		viii कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii इ+iii+iv+v+vi+vii)		कviii	
		ख अल्पकालिक विनिधान			
		i साम्या लिखत			
		अ सूचीबद्ध साम्या	iअ		
		आ असूचीबद्ध साम्या	iआ		
		इ योग	iइ		
		ii अधिमानी शेयर	ii		
		iii सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii		
		iv डिबेंचर या बंधपत्र	iv		
		v पारस्परिक निधियां	v		
		vi अन्य	vi		
		vii कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii +iii+iv+v+vi)		खvii	
		ग कुल विनिधान (कviii+खvii)		2ग	
		3 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
		क चालू आस्तियां			
		i सूचियां			
		अ कच्चा माल	iअ		
		आ प्रगतिगत स्टॉक	iआ		
		इ तैयार माल	iइ		
		ई व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई		
		उ भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ		
		ऊ खुले अंजार	iऊ		
		ए अन्य	iए		
		ऐ योग (iअ+iआ+iइ+iई+i उ+iऊ+iए)		iऐ	
		ii विविध देनदार			
		अ एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया	iiअ		
		आ अन्य	iiआ		
		इ कुल विविध लेनदार		iiइ	
		iii नकदी और बैंक अतिशे-1			
		अ बैंक में अतिशे-1	iiiअ		
		आ हाथ में नकदी	iiiआ		
		इ अन्य	iiiइ		
		ई कुल नकद और नकद समतुल्य (iii अ+iii आ + iiiइ)		iiiई	
		iv अन्य चालू आस्तियां		कiv	
		v कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)		कv	
		ख ऋण और अग्रिम			
		i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi		
		ii निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii		
		iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशे-1	खiii		
		iv योग (खi + खii + खiii)		खiv	
		v खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं			
		क कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख		
		ग योग (कv+खiv)		3ग	
		घ विद्यमान दायित्व और उपबंध			
		i विद्यमान दायित्व			
		अ विविध लेनदार			
		1 एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया	1		
		2 अन्य	2		
		3 योग (1 + 2)	अ3		
		आ षट्पादित आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
		इ ऋण पर प्रोद्भूत व्याज और शोध	iइ		
		ई ऋण पर प्रोद्भूत व्याज किन्तु शोध नहीं	iई		
		उ अग्रिम में प्राप्त आय	iउ		
		ऊ अन्य संदेय	iऊ		

			ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	iए	
			ii	उपबंध		
			अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
			आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ	
			इ	अन्य उपबंध	ii इ	
			ई	योग (iiअ+iiआ + iiइ)	iiई	
			iii	योग (iउ+ iiई)	घiii	
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)	3ड	
			4	क अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
			ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
			ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-न	4ग	
			घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
लेखा न होने की दशा	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)			5	
	ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारबार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2022 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1	विविध देनदारों की कुल रकम		ग1	
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम		ग2	
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		ग3	
		4	नकद अतिशे-न की रकम		ग4	

भाग अ-विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

	1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन			
	क	आरंभिक सूची			
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i	
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii	
		iii	योग (i + ii)	कiii	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)			घ
		i	आवक वहन व्यय	i	
		ii	बिजली और ईंधन	ii	
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
	ड.	कारखाना अधिव्यय			
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
		ii	कारखाना किराया और दर	ii	
		iii	कारखाना बीमा	iii	
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv	
		v	कारखाना साधारण व्यय	v	
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi	
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii	
	च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)			च
	2	अंत स्टॉक			
		i	कच्ची सामग्री	2i	
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii	
		योग (2i + 2ii)			2
	3	उत्पादित माल की लागत - व्यापार लेखा में अंतरित (1च-2)			3

भाग अ- व्यापार लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा अंश	4	प्रचालन से राजस्व			
	क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)			
		i	माल का विक्रय	i	
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii	

व्यापार लेखा से विकलन		iii अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क		iii क			
		ख		iii ख			
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग			
		iv योग (i + ii + iii ग)					कiv
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां					ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i				
	ii	सेवा कर	ii				
	iii	वैट/विक्रय कर	iii				
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv				
	v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v				
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi				
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii				
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii				
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix		
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व(कiv + ख +गix)					4घ
	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक					5
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)					6
	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक					7
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)					8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	बिजली और ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii			
	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर					
	i	सीमा शुल्क	10i				
	ii	प्रति शुल्क	10ii				
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii				
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv				
	v	सेवा कर	10v				
	vi	वैट/विक्रय कर	10vi				
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii				
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii				
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix				
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x				
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi				
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii		
	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित					11
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित					12

भाग अ-लाभ और हानि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा की जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13	
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभार्थ आय	iii			
		iv	व्याज आय	iv			
	v	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ				v	

लाभ और हानि लेखा से विकलन

	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	vi			
	vii	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	vii			
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix			
	x	कृषि-आय	x			
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		क		xiक		
		ख		xiख		
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xiग)				14xii
15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)				15	
16	जावक भाड़ा व्यय				16	
17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग				17	
18	विजली और ईंधन				18	
19	किराया				19	
20	भवन की मरम्मत				20	
21	मशीनरी की मरम्मत				21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वितन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)		22xi		
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
		यदि हां तो, अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii			
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v		
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)		30iii		
31	स्वामित्व					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग I (i + ii)		31iii		

32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, भोजन तथा आवास				33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34	
35	विदेश यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	उत्सव समारोह व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	दान				42	
43	संदान				43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	बेट/विक्रय कर	44iii			
	iv	उप कर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
	ix	एसटीडी और सीटीडी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix			
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x	
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	कर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46	
47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	योग (i + ii)			47iii	
48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)					
	i(1)			48i(1)		
	i(2)			48i(2)		
	i(3)			48i(3)		
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]	48i			
	ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii			
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii			
	iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii			48iv	
49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49	
50	अन्य उपबंध				50	
51	व्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]				51	
52	व्याज					
	i	भारत से बाहर भुगतान किया गया हो अथवा भारत में किसी अनिवासी को (कंपनी के अलावा) अथवा किसी विदेशी कंपनी को	i			
	ii	अन्यों को	ii			
	iii	योग (i + ii)			52iii	

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			53		
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 – 52iii – 53)			54		
	55	चालू कर के लिए उपबंध			55		
	56	आस्थगित कर का प्रावधान			56		
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)			57		
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष			58		
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)			59		
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित			60		
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 – 60)			61		
	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		

उपधाराणात्मक आय मामले	(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (i)क + iख)				62i		
		क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	i)क				
		ख	किसी अन्य ढंग से	i)ख				
	(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (ii)क+ iiख)				62ii		
		क	62i)क का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	ii)क				
		ख	62i)ख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	ii)ख				
	टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है							
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)						
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण			
		(i)	सकल प्राप्तियां				63i	
		(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i) का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)				63ii	
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है								
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना							
	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण				

	a	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	i		65i
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	i	ख	
	ग	व्यय	i	ग	
	घ	शुद्ध लाभ			
	(ii)	वृत्तिरत निर्धारित के लिए			
	क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)	ii	क	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	किसी अन्य ढंग से	क2		
	ख	सकल लाभ	ii	ख	65ii
	ग	व्यय	ii	ग	
	घ	शुद्ध लाभ			
	(iii)	कुल लाभ (65i + 65ii)			
	66	i	सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन		
		ii	सकल लाभ		
		iii	व्यय, यदि कोई हो		
		iv	सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)		

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44क के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति		
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		
		घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ	
		ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4 ङ	
	5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो-		
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
		ख प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धित कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
		ग पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ	
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
		च लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखों में विकलित रकम		
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
		घ उधार ली गई पूंजी की वास्तविक ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	

6	ड	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii)(क)]	6ड	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 गगध में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
	द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
	ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
	न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध का योग)	6 न	
	प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
		i भारत में तैनात	i	
		ii भारत से बाहर तैनात	ii	
		iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिगिद्ध है	7छ	
	ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क) (i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
	घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	
	छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ	
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें			

	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ		
	ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ		
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9 च		
छ धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)					9 छ
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्त में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्त के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्ताकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर, समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घ क		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ		
ज धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)					10ज
11 पूर्व वर्त के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्ताकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिए गए ऋण या उधार पर , समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11 घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)			
				11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		

ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
ज	कोई अन्य कर	12ज	
झ	वकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभावी लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16	धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय व्यय	16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क-परिणामक ब्यौरे		परिणामक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)			
परिणामक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1		
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2		
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3		
	4	बंद स्टाक	4		
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5		
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
	क	आरंभिक स्टाक	6क		
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख		
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग		
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ		
	ङ	बंद स्टाक	6ङ		
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च		
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ		
	ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज		
	7	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
	क	आरंभिक स्टाक	7क		
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख		
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग		
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ		
	ङ	बंद स्टाक	7ङ		
	च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च		

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)		
	I					
	II					
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	

☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		I II																		
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य																	1क		
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती																	1ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर																	1ग		
घ	योग (1ख + 1ग)																	1घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)																	1ङ		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)																	1च		
छ	1च का 30%																	1छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज																	1ज		
झ	योग (1छ + 2ज)																	1झ		
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%																	1ञ		
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)																	1ट		
2	संपत्ति 2 का पता																	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें) संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %																				
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%) संख्याक / आधार संख्या																				
I II																				
[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया																				
किराएदार का नाम किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें) किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)																				
I II																				
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)																	2क		
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती																	2ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर																	2ग		
घ	योग (2ख + 2ग)																	2घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)																	2ङ		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)																	2च		
छ	1च का 30%																	2छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज																	2ज		
झ	योग (2छ + 2ज)																	2झ		
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%																	2ञ		
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)																	2ट		
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*																	3		
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2अ का अंक लें)																	4		
टिप्पण यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। यदि धारा 194-अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।																				

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क-पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv))		1
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रवि-ट करें)	2ख	

कारबार या वृत्ति से आय

3	115 खख के अधीन प्रभार्य या 115 खख के अधीन प्रभार्य या आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय/प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क	
		ख	गृही अभिलाभ	3ख	
		ग	अन्य स्रोत	3ग	
		गि	लाभांश आय	3गि	
		गii	लाभांश आय के अलावा	3गii	
		घ	धारा 115खख	3घ	
		ङ	धारा 115खख	3ङ	
4क	1 में शामिल लाभ व हानि जो कि धारा 44कघ/ 44कचक/ 44कड़/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44घक/ 44घख में संदर्भित है (धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से लाभ के अलावा) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)				4क
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ				4ख
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)				4ग
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
(घ)	(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क		
	(ख)	एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख		
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		ग i		
	ii		ग ii		
	iii	योग (ग i + गii)	5ग iii		
	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)				5घ

6	बकाया (1-2क-2ख-3क-3ख-3ग-3ङ-4क-4ख-4ग-5घ)				6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य/ आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क	
		ख	मंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	धारा 115खखच	7घ	
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय				8क
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)				8ख
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)				9
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)			12i	
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-इक के अनुसार)			12ii	
	कुल (12i + 12ii)				12iii i
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)				13
14	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 6S)			14	
15	धारा 37 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 7झ)			15	
16	धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 8कज)			16	
17	धारा 40क के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णञ का 9छ)			17	
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय हैं (भाग क -णञ का 11ज)			18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुनुज्ञेय व्याज			19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन मानी गई आय			21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय			22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें			23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारती भागीदार हैं)			24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3क + 4घ)			25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती			28	
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है (अनुसूची डधद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)			29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय रकम (भाग क -णञ का 8ख)			30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णञ का 10ज)			31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम			32	
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णझ का स्तंभ 3ख+ 4ड.)			33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)				34
35	आय (13+26-34)				35
36	निम्नलिखित के अधीन कारखार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -				
	i	धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	36i		
	ii	धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii		
	iii	धारा 44कङ [अनुसूची का 64(ii)]	36iii		
	iv	धारा 44ख	36iv		

		v	धारा 44खख	36v			
		vi	धारा 44खखक	36vi			
		vii	धारा 44घक	36vii			
		viii	धारा 44घख	36viii	(प्रारूप 3 गड की मद 4)		
		ix	कुल (36i to 36viii)			36viii	
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36viii)					37	
38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि यदि नियम 7 क, 7 ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)					क 38	
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय		38क			
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय		38ख			
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय		38ग			
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय		38घ			
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय		38ङ			
	च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय		38च			
39.	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]					39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना						
	40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि				40	
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				41	
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां				42	
	43	सट्टेबाजी के कारबार से आय (40+41-42) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ठ में ले जाएं)				आ43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन						
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि				44	
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				45	
	46	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतिया (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है				46	
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44+45-46)				47	
	48	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)				48	
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से आय (47-48) (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचठ में ले जाएं)				इ49	
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाए				इ50	
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)		D			घ	
	'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ ख43+ ग49)						
ङ	चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष						
	क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)		बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय	
			(1)		(2)	(3) = (1) - (2)	
	i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या नकारात्मक हो)			(क 38)		
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)				
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)				
	iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)				
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii)					
	vi	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-1 हानि (i - v)					

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (सं. 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञात मूल्यह्रास,				
17	कुल नियत मूल्यह्रास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, सम्मेलन, निर्विलयन आदि (सं. 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात अनुपातिक कुल मूल्यह्रास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (सर्तब 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यह्रास,							
14	कुल नियत मूल्यह्रास (12-13)							
15	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (सर्तब 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यह्रास							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50I के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वतंत्रधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1 ङ		
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		

ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4		
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5		
6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6		

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)	1ङ		
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)	3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)	4		
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)	5		
6	कुल अवक्षयण (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5)	6		

अनुसूची इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यौरों का उल्लेख करें।			

अनुसूची-पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

अल्प कालित पूँजी अभिलाम

अल्प कालिक पूँजी अभिलाम

क	अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)						
1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)					
क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का				
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii				
	iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (काi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (काi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii				
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii				
	iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iv				
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v				
ग	तुलन काiii - ख v)					1 ग	
घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)					क 1 ङ	
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)						
	क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड , जिप कोड पिन कोड	
टिप्पण	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है ► एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।						
2		स्लम्य विक्री से					
क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काi				
	ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2काii				
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2काiii				
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य					2 ख	
ग	स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (2काiii - 2ख)					2 ग	
3		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है					
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3 क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i				
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii				
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ग iii				
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv				
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v				
ग	शेन (3 क - ख v)					3 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					3 घ	
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)					क 3 ङ	
4		अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)					
क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है					क 4 क	

	ख	संयवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संयवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है	क 4 ख
5		अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)	
	क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
	ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
	ग	पूँजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii
	iii	कुल (i ग + ii)	कiii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ	
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग	शे-न (5 क iii – ख v)	5 ग
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ङ 3 घ)	क 5 ङ
6		पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से	
	क	I विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।	
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क
	ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख
	ग	पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii
	iii	कुल (i ग + ii)	कiii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ	
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी	ख i
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii
	iv	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iv
	v	योग (i + ii + iii + iv)	ख v
	ग	शे-न (6 क iii – ख v)	6 ग
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ

		ड	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीसीका 6)					6 ड			
		च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती					6 च			
		छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)						क	6छ	
7		अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
					वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि					
		i	2017-18	54घ/54छ/54छक							
		ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि									प्रपत्र 5ग का क्रम सं. 4ख
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)									क7
8		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे)(क8क+क8ख+क8ग)									क8
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,15% की दर से प्रभार्य						अ8क			
		ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,30% की दर से प्रभार्य						अ8ख		
			ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य						अ8ग	
9		क 1 - क 8 में अंतर्विष्ट एसटीसी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
	क	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आईटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर की कुल राशि								
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल रकम									क9 ख
10		कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4ख+ क5 ङ+ क6छ+ क7 + क8 - क 9क)									क 10
ख	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक् रूप से भरे)								
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य						का		
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii		
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (काi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (काi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]						काiii		

			ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां								
				i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कमी					ख i		
				ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख ii		
				iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख iii		
				iv	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iv		
				योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)					ख v			
			ग	शे-1 (क iii – ख v)					1 ग			
			घ	धारा 54 घ / 54 ङग/ 54 छ / 54 छक के अधीन कटीती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ			
			ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)					ख 1 ङ			
			च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओं) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य				
टिप्पण ►		यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटीती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्याक/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।										
	2		स्लम्य विक्री से									
			क	i	नियम 11प.क.ङ(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2कi			
				ii	नियम 11प.क.ङ(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य				2कii			
				iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)				2कiii			
			ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2ख				
			ग	शे-1 (2कiii – 2 ख)				2ग				
			घ	धारा 54ङग के अधीन कटीती				2घ				
			ङ	स्लम्य के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2 घ)								
	3		बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)									
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां								
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii			
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii			
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv			
	ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क – 3 ख iv)					ख 3ग					
	4		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से									
			क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					4क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां								
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii			
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii			
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv			
			ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)					ख 4 ग			
			5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोंमुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से								
			उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)					ख5घ				
			6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)								
इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी					ख6							
			7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से								
			क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।							

			क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik		
			ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ix		
			ग	पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ig		
			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii	कुल (ig + ii)	क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
			ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)			ख 7 ग
8	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से उपर्युक्त ख8 में पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूँजीगत लाभ (115कघ(1)(ख)(iii) परंतु क के कॉलम 14))						ख8घ
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं						
			क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।		
			क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik		
			ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	ix		
			ग	पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ig		
			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
			iii	कुल (ig + ii)	क iii		
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
			ग	अतिशेष (क iii- खiv)	9 ग		
			घ	धारा 54घ/धारा 54घ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 घ		
			ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (9ग-घ)			ख 9 ङ

10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतर्गत आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?					
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतर्गत की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2017-18	54घ/54छ/54छक			
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
ग	अधिनियम की धारा 45(4) के धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार मानी जा सकने वाली अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की राशि					10ग
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)					ख10
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय , (अनुसूची तनझ भरें) (आ11क + आ11ख)					B11
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क1	
	क2	धारा 112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य			आ11क2	
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य			आ11ख	
12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीडी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है					
	क्रम	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. देश कानाम और ख 1 से ख11	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य प्राप्त की गई है)	क्या टीआरसी आई टी एक्ट की धारा
					आई टी एक्ट अनुसार दर	आईटी एक्ट के अनुसार दर (6 या 9 से कम)

सं.		जिसमें सम्मिलित किया गया है			नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें	हां/नहीं				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि									ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									ख12ख
13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क)									ख13
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)									ग
घ	पूँजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावों के बारे में सूचना									
1	धारा 54घ / धारा 54ङ/धारा 54छ/धारा 54ज के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित व्योरे दें।									
क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख					क i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत					क ii				
iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख					क iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					क iv				
v	कम किए गए दावों की रकम					क v				
ख	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम					ख ii				
iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	कम किए गए दावों की रकम					ख iv				
ग	54छ के अधीन कम किया गया दावा									
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय					ग ii				
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					ग iv				
v	कम किए गए दावों की रकम					ग v				
घ	54ज के अधीन कम किया गया दावा									
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष			
ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय					घ ii				
iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख					घ iii	दिन/मास/वर्ष			
iv	नियत तारीख से पहले पूँजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम					घ iv				
v	कम किए गए दावों की रकम					घ v				
ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)									1 ड
ड	पूँजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)									
क. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग क पूंजी अभिलाभ (इस संतुल्य को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-6-7-8)			
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7ग*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6*+ आ7ड*+ आ10+	आ12ख	

						आ11क2*)			आ11ख)					
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)											
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*											
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*)											
v		डीटीएए दर	अ9ख*											
Vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8*+ आ11क1*+ आ11क2*)											
Vii		20%	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ग* + आ6*+ आ9ड* + आ10+ आ11ख)											
Viii		डीटीएए दर	आ12ख											
Ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)													
x	मुजरा के पश्चात् शे-1 हानि (i – ix)													
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।														
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य हैं, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।														
च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विनय में सूचना														
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख				15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)					
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो													
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो													
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो													
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो													
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो													
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो													
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो													

अनुसूची 115कघ(1)(ब)(iii)परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.201 8 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) - (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6- 13) – आईटीआर -5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
कुल														

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1 सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)		1	
क	लाभांश, सकल	1क	
i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	कां	
ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कांii	
ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)	1ख	
i	बचत खाता से	खां	
ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खांii	
iii	आय कर प्रतिदाय से	खांiii	
iv	पास श्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खांiv	
v	अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घां + घांii + घांiii + घांiv + घांv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घां	
ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घांii	
iii	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घांiii	
iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांiv	
v	अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घांv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति	राशि
	1		
	2		
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	
2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)		2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खां + खांii + खांiii + खांiv + खांv + खांvi)	2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खां	
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खांii	
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खांiii	
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खांiv	
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गंi से गंxxiii का योग)	2ग	
i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	गं i	
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त ब्याज	गं ii	
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	गं iii	
iv	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गं iv	
v	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गं v	

vi	धारा 115A(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट व्याज	ग vi	
vii	धारा 194खक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
viii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य सारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग viii	
ix	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग ix	
x	धारा 115क के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	ग x	
xi	धारा 115क के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	ग xi	

	xii	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त					ग xii					
	xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य					ग xiii					
	xiv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर					ग xiv					
	xv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिसत्व द्वारा आय					ग xv					
	xvi	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय					ग xvi					
	xvii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय					ग xvii					
	xviii	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)					गxviii					
	xix	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ.आई.आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)					ग xix					
	xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)					ग xx					
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाए)									2घ		
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)									2ङ		
	क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीडीएए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (आर्य प्रभार्य से संबंधित विशेष दरों के अधीन 2क,2ख,2ग एवं 2घ के अलावा)											
	क	व्यय/ कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा					3क					
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)					3ख					
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग					
	गि	धारा 57(ii) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि					3गि					
	घ	योग					3घ					
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीएए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/ में आंकड़े भरें)										6	
अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रुप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)											7	
दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय												
क	प्राप्तियां					8क						
ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां					8ख						
ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					8ग						
घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ					8घ						

ड	अतिशेन (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11ख में आंकड़े भरें)						8ड	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (7 + 8ड) (नकारात्मक की दशा में 8ड को ले जाएं)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना							
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 ये 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						
	2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभों पर आय						
	3	धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभों आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभों आय						
	5	धारा 115क(1)(क)(iiकग) के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी.टी आई आय शामिल)						
	6	धारा 115कघ(1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ आई आई की लाभों आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभों आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	8	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभों आय						

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्गों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ग की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ग की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ग के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद डका 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 38)				
Iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद डका 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद डका 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद डका 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				

चालू वर्ग हानि समायोजन

चालू वर्ग हानि समायोजन

x	डी.टी.ए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेन हानि (i - xvi)					

अनुसूची-बीएफएलए पूर्व वर्गों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का स्रोत/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिवेट)	मुजरे के पश्चात् शेन बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात् शेन बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची-सीएफएल भावी के व-ओं के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण व-	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/व-)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि			सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दि-ट कारबार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि रेश	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत						
1	2	3	4	5क	5ख	5ग =5क-5ख	6	7	8	9	10	11
i	2010-11											
ii	2011-12											
iii	2012-13											
iv	2013-14											
v	2014-15											
vi	2015-16											
vii	2016-17											
viii	2017-18											
ix	2018-19											
x	2019-20											
xi	2020-21											
Xii	2021-22											
Xiii	पूर्ववर्ती की हानियों का योग ख/ च											
Xiv	अनुसूची बीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल का 2i)	(अनुसूची बीएफएल का 2ii)			(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	(अनुसूची बीएफएल का 2v)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)			(अनुसूची बीएफएल का 2xiv)
Xv	2022-23 चालू वर्ष की हानिय		(अनुसूची सीवाईएल का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएल का 3xviii)			(अनुसूची बीएफ का ख43, यदि -vड)	(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि -vड)	अनुसूची बीपी का ड(iv) (यदि नकारात्मक हो)	(2x+3x+4x+5x) अनुसूचीसीजी के मद ड)	(6x+7x+8x) अनुसूची सीजी के मद ड))	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -vड)
xvi	यूनिट धारकों के मध्य चालू वर्ष हानि वितरित (निवेश निधि के लिए लागू)											
xvii	चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत (xiv-xv)											
	भावी व-ओं को अग्रनयन की गई कुल हानि (xii-xiii+xvi)											

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण व-	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	धारा 115खकघ के अधीन कराधान के	चालू व- की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले व- के लिए अग्रणीत शे-न रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू व- की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम व- के लिए अग्रणीत शे-न

			लिए समायोजित रकम का विकल्प					
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	वालू निर्धारण वर्ग							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.			लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	लेखा नीति		
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)		
III	संनिर्माण संविदाएं		
IV	राजस्व मान्यता		
V	मूर्त नियत आस्तियां		
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन		
VII	सरकारी अनुदान		
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)		
IX	उधार लेने की लागत		
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था		
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)		
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)		

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती	
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बावत कटौती		
	क्रम सं.	वचनबंध	निर्धारण वर्ग जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है
	क	वचनबंध सं0 1	क
	ख	वचनबंध सं0 2	ख
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)	

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
	i					
	ii					
	iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान				

	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं..	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(ii)क या 35(1)(iii) or 35(2)कक के अधीन कटौती)

दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान की पात्र रकम
		नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i					
ii					
iii	कुल				

अनुसूची-80-झ.क धारा 80- झ.क के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसररचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2)				ग

अनुसूची-80-झ.ख धारा 80-झ.ख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

	और खनन आरंभ करता है [धारा 80इख(9)]	ख2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
ग	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(10)]	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
ङ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा 80इख(11क)]	ङ 1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		ङ 2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
च	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ङ 2 का योग)				च

अनुसूची-80-झग या 80-झड धारा 80-झग या धारा 80झड के अधीन कटौतियां

धारा 80-झग के अधीन कटौती

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				
घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घग2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घघ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घङ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घच	नागालैंड	घच1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घच2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
		घछ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीवी की मद 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)	घज			
ङ	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	ङ			

अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां

		कारोबार कोड की प्रकृति	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा			
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग			
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन			
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय			
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना			
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान			
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंध क्रियाकलाप			
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संचयी सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां।			
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ब) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी			
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ब) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य			

	सहकारी सोसाइटियां			
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश			
12	धारा 80त(2)(ड) वाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय			
13	धारा 80त(2)(च) अन्य			
14	योग			

अनुसूची -6क अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80छ		ख	80छछख	
	ग	80छछग				
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)					1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	घ	80-झक	(अनुसूची 80- टक का च)	ड	80-झकख	
	च	80-झकग		छ	80-झख	(अनुसूची 80- झख का ड)
	ज	80-झखक		झ	80झग/80झड	(अनुसूची 80 झग/80झड का ड)
	ज	80जजक		ट	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलग्नक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II
	ठ	80टक(1)	प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80टक(1क)	(प्रपत्र 10गगच के अनुबंध का9)
	ण	80त				
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)					2
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 + 2)				3

अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
		ड		
		80 झकख		
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क	
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख	
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाया है पर अब्हाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35क के अधीन कटौती का दावा	2ग	
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
	3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)	3	
	क	धारा 115जग के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
	ख	धारा 115जग के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख	
	4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3 ख) का 18.5 % या (3 क) का 9 % (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)	4	

अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्- 2022-23 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का1घ)			1	
2	निर्धारण वर्- 2022-23 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)			2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]			3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर् के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती				
क्र.सं.	निर्धारण वर्- (क)	एएमटी प्रत्यय (ख)		चालू वर् के दौरान उपयोग की गई एएमटी (ग)	अग्रणीत अतिशेन एएमटी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
		सकल (ख1)	पूर्व वर्ों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेन (ख3)=(ख1)-(ख2)	
I	2011-12				

	ii	2012-13					
	iii	2013-14					
	iv	2014-15					
	v	2015-16					
	vi	2016-17					
	vii	2017-18					
	viii	2018-19					
	ix	2019-20					
	x	2020-21					
	xi	2021-22					
	xii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविट करें, यदि 1 > 2 या शून्य प्रविट करें)					
	xiii	योग					
5	धारा 115अ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4 ग के अनुसार)]					5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]					6	

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☒	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क या धारा 115कघ(1)(ii)- परंतुक(शेयर/इक्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अन्य कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(iii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की बिक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5lx)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
12क	115कग (विदेशी कंरसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग ix)	
12ख	115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xxii)	
13	115 खख (लॉटरी, बग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
15	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
16	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 7ख)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2गxvi)	
17	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2गviii)	
18	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभाय है	☐		(अनुसूची ओएस के 2ख का भाग)	
19	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 5vi का भाग)	
20	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	
21	10% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
22	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
23	20% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
24	विशेष दये पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2घ)	
25	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभाय होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
	योग				

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के व्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय						1	
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष)i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि)यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें (					2	
		v	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित व्यौरें दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक व्यौरें भरें)						
			क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।					
			ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन					
			ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
			घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)					
	3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						3	
		क	धारा 10(23चख) अथवा 10(23चखक) या 10 (23चग) या 10(23चगक) या 10(23चड) या 10(23चच) या 10(4घ) के तहत आय प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग से ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।				3क		
		ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट के साथ पंक्ति विकल्प जोड़ें				3ख		
	4	डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं आय							
		क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
		I							
		II							
		III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीए से कुल आय						4
	5	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)						5	
	6	योग (1+2+3+4+5)						6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.				i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				
					काii	अन्य				
					ख	दीर्घकालिक अवधि				
					खा	धारा 112क				
					खाii	धारा 112क के				

						अलावा अन्य					
					iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश					
					ख	अन्य					
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा 10(23चख) के अधीन					
					ख	धाराके अधीन					
					ग	धारा.....के अधीन					
2.					i	गृह संपत्ति					
					ii	पूँजी अभिलाष					
					क	अल्पकालिक अवधि					
					का	धारा 111क					
					काii	अन्य					
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
					खा	धारा 112क					
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
					iii	अन्य स्रोत					
					क	लाभांश					
					ख	अन्य					
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
					क	धारा 10(23चख) के अधीन					
					ख	धाराके अधीन					
					ग	धारा.....के अधीन					

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण									
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर)	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)									
	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा									
	ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार									
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर									
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)									
	3	भुगतान किए गए कर									
	4	निवल देय कर (2घ-3)									
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 7 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 8 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 9 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाखा का नाम									
	7	बीएसआर कोड									
	8	चालान की क्रम संख्या									
	9	जमा की गई राशि									

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर से आय और कर राहत	क्र. सं	देश कोड	कर संचायकता पहचान संख्या	क्र. सं	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख तड में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)

1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें									

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त किए गए करें पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)			
1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च ध झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ध झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	योग				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

[illegible]

अ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड		अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं0	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	

(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
क्र. सं०		जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)		(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।	

भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाम	
	i	सट्टेबाजी और विनिर्दि-ट कारबार के कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाम (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	2i
		सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(ii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2ii
		सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका ड का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफल में ये आंकड़े भरें)	2iii
		विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी का 3घ और 3ङ)	2iv
		योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रवि-ट में ले जाएं)	2v
	3	पूँजी अभिलाम	
	क	अल्प कालिक	
		i 15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	का
		ii 30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	काii
		iii लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	काiii
		iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	काiv
		v कुल अल्प कालिक (का + काii + काiii + काiv) (यदि हानि हो तों कुछ नहीं प्रवि-ट करें)	3कv
	ख	दीर्घ कालिक	
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खi
		ii 20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii
		iii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii
		iv कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv

	ग	कुल पूंजी अभिलाष (3 क + 3 खiv) (यदि हानि हो तो शुन्य करें)	3c	
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभावी अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क	
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभावी आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख	
	ग	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग	
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2व + 3 ग + 4 घ)		5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ग की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)		6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 - 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv)का योग + 4ख + 2iv)		7	
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)		8	
9	सकल कुल आय (7 - 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv)से (xiv)का योग + 4ख + 2iv)		9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभावी आय		10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ			
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]	11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2)]	11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित	11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)		12	
13	कुल आय (9- 11ग -12)		13	
14	विशेष दरों पर कर से प्रभावी आय (अनुसूची एसआई के i का योग)		14	
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृति आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)		15	
16	कुल आय (13 - 14 + 15) यदि (13-14) प्रभावी कर की प्रभावी न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा		16	
17	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ग की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xvi का योग)		17	
18	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय (अनुसूची ए.एम.टी का 3)		18	

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
	ख	पूर्वोक्त (क)पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1 ग	
	घ	मानी गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
	क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
	ग	कृति आय पर छूट/भाग ख-नज का 13-14 कर से प्रभावी अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग	
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख+2ग)	2घ	
	ड	उपकर		
		उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक के बाद अधिभार	2ड
	i	अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ड i	
	ii	10% या 15 % या 20%, 1, 7, 9, 21, 23 के अनुसार लागू, लाभांश आय अनुसूची एस.आई धारा 115कघ (1)(क) के तहत, तथा भाग-ख- टी.आई में शामिल लाभांश आय	2ड ii	
	iii	अनुसूची एस.आई [(2घ) - [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii))]पर	2ड iii	
	iii	कुल (i)क + ii)क + iii)	2ड iii	
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiii	2च	
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ड iv+ 2च)	2छ	
	3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3	
	4	पूर्व वर्गों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4	
	5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)	5	
	6	कर राहत		
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क	
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख	
	ग	योग (6क + 6ख)	6ग	

7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)				7							
8	व्याज और देय फीस											
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क									
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख									
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग									
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234च)	8घ									
	ड	कुल व्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)			8 ड							
9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)				9							
संदत कर और बैंक के ब्यौरे	10	संदत कर										
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क								
		ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख								
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग								
		घ	स्वतः निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ								
		ड	कुल संदत कर (10क+10ख+10ग+10घ)			10ड						
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक हैं तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)				11						
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9 से अधिक हैं) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा				12						
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)								हां या नहीं का चयन करें		
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)										
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं(						
		i										
		ii										
नोट: 1) रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर. 2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए 2) Minimum one account should be selected for refund credit												
आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं												
ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:												
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आई.बी.ए.एन							
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं											
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें (										☐ हां ☐ नहीं	

15 अनुसूची-आयकर											
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे										
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ष)				चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	i										
	ii										
	iii										
ख	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]										
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य	कटौतीकर्ता का पैना/किराएदार/क्रेता का पैना/ आधार संख्या	अग्रपित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टीडीएस कटौती)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	अग्रपित टीडीएस क्रेडिट			

व्यक्ति	व्यक्ति से संबंधित है											
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रणी टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैर/ आधार संख्या			
i												

टिप्पण भाग ख - नमूने के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्रारूप 27घ के अनुसार]							
क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणी स्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च	वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च	चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है)	(5) या (6) की राशि में से अग्रणी रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

टिप्पण - कृपया भाग ग - टॉटाई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्याई खाता संख्या धारक हूँ (यदि आवंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	2	-	2 3

[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए]
[आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें]
(कृपया अनुदेश देखें)

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम	(क2) स्थायी लेखा सं०					
	(क3) क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	(क4) कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी					
	(क8) फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	(क9) परिसर/भवन/ग्राम का नाम	(क5) निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		(क6) कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
			/	/	/	/	
	(क10) सड़क /मार्ग/डाक घर	(क11) क्षेत्र/अवस्थान				(क7) कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒	
						(i) देशी कंपनी	☐

			(ii) विदेशी कंपनी	☐
(क12) कस्बा/शहर/जिला	(क13)राज्य देश	(क14)पिन कोड / जिप कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)	☐
(क15) कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं0-1	(क16)मोबाइल नं0-2		(क17) ई मेल पता-1	
(क18) ई मेल पता-2				
(क19) धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरण, ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्			
(क) या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148			
(ख) यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्रामि संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	/ /			
(ग) यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिफाइड संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/ /			
(घ) आवासीय प्रास्थिति (निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी				
(ड.) क्या आपने धारा 115खक/115खकक/115खकख के तहत कराधान का विकल्प चुना है ? (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन है) (घरेलू कंपनी पर लागू) यदि हां, कृपया नि.व. का वर्णन करें जिसमें उक्त विकल्प का पहली बार प्रपत्र (10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ) तथा पावती संख्या के साथ उपयोग किया गया है यदि नहीं, क्या इस वर्ष के लिए विकल्प चुना है? हां नहीं यदि हां, कृपया प्रपत्र 10-अ ख / 10- अ ग / 10- अ घ दाखिल करने की तिथि बताएं				
(च) क्या पिछले वर्ष 2019-20 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ/ नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)				
(छ) क्या निर्धारित देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?				
(ज) अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं				
(झ) अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस.ई.पी.) है ? (चिन्ह) ☐ हां ☐ नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या				
(ञ) क्या निर्धारित से कंपनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ? यदि हां, कृपया विवरण दें .				
(ट) क्या कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं				
(ठ) क्या निर्धारित की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं				
(ड) क्या निर्धारित कंपनी समापन के अधीन है (सही का निशान) ☒ हां ☐ नहीं				
(ड) क्या एफ.आई.आई/एफ.पी.आई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं0 बताएं				
(ण) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? ☐ हां ☐ नहीं				
क्या निर्धारित के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें -				
(1) निर्धारित के प्रतिनिधि का नाम				
(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)				
(3) निर्धारित के प्रतिनिधि का पता				
(4) निर्धारित के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या				
(त) क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं	☐ हां ☐ नहीं			
1 यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें				
2 क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	☐ हां ☐ नहीं			
3 यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें				

फाइल करने की प्रास्थिति

संपरीक्षा सूचना	4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	☐ हां	☐ नहीं
	5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें		
	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
	(क2)	क्या निर्धारित धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख/44घ के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
	(क2i)	यदि नहीं, वर्ष के दौरान क्या व्यवसाय की कुल बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्ति रु. 1 करोड़ या 10 करोड़ के मध्य है? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं ☐ टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक नहीं ☐ टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक		
	(क2ii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है, क्या समस्त प्राप्त राशि का कुल योग जिसमें बिक्री टर्नओवर अथवा सकल प्राप्ति अथवा पूंजीगत खाते जैसे कि पूंजीगत योगदान, ऋण इत्यादि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राशि शामिल है, नकद में तथा गैर खाता पेयी चेक/ डी.डी. उक्त राशि से पांच प्रतिशत से अधिक न हो (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	(क2iii)	क2i पर यदि हां का चयन किया गया है क्या भुगतान का कुल योग व्यय के लिए सम्मिलित राशि अथवा पूंजीगत खाता जैसे कि परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का भुगतान इत्यादि एवं गैर खाता पेयी चेक /डी.डी. पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान नकद में उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक न हो? (निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं		
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (प्रणाली को टिप्पणी : यदि टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक हो यह स्वतः ही होना चाहिए)		
	(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं		
		(1) लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)		
	(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम			
	(3) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या			
	(4) लेखा परीक्षक का पता (संपत्तिक/ फर्म)			
	(5) स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.			
	(6) लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.			
	(7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			
(घi)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? ☐ हां ☐ नहीं			
(घii)	यदि (घइ) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित किया गया है	☐ हां ☐ नहीं	लेख परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष	
(घiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें / कृपया अनुदेश 5 देखें/			
ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?			
	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा (दिन/मास/वर्ष)	
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनु-ंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें			
(ख)	यदि समनु-ंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें			
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनु-ंगी कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समनु-ंगी कंपनी का नाम	समनु-ंगी कंपनी का पता	
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामेलित कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामेलित कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	
(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें			
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	

कारखाने संगठन

	(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें			
	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम		अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.
शेयरधारक की	उन व्यक्तियों की विशीष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
					निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।					
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	
				निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	
कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार	कंपनी का स्वरूप				
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी हैं			
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी हैं (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			
	7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी हैं			
	8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है? यदि हां, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें			
	कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)				
क्र.सं.	कोड		वर्णन		
(i)	[कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]				

(ii)		
(iii)		

भाग क-तुलन पत्र 31 मार्च, 2022 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	I साधारण पूंजी और दायित्व		
	1 शेर धारक की निधि		
	क शेर पूंजी		
	i प्राधिकृत	का	
	ii पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	का ii	
	iii अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	का iii	
	iv कुल (का ii + का iii)	का iv	
	ख आरक्षित और अधिशेष		
	i पूंजी आरक्षित	ख i	
	ii पूंजी मोचन आरक्षित	ख ii	
	iii प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	ख iii	
	iv डिबेन्चर मोचन आरक्षित	ख iv	
	v पुर्नमूल्यांकन आरक्षित	ख v	
	vi शेर विकल्प बकाया रकमे	ख vi	
	vii अन्य आरक्षित (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	क	vii क	
	ख	vii ख	
	ग कुल (vii क + vii ख)	ख vii	
	viii अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेख में अतिशेष (नाम पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	ख viii	
	ix कुल (ख i + ख ii + ख iii + ख iv + ख v + ख vi + ख vii + ख viii) (नाम पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	ख ix	
	ग शेर अधिपत्रों से प्राप्त रकम	1 ग	
	घ शेर धारक की कुल निधि (का iv + ख ix + 1 ग)	1 घ	
	2 शेर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है		
	i एक वर्ष से कम से लंबित है	i	
	ii एक वर्ष से अधिक से लंबित है	ii	
	iii कुल (i + ii)	2	
	3 स्थगित दायित्व		
	क दीर्घकालिक उधार		
	i बंधपत्र/डिबेन्चर		
	क विदेशी मुद्रा	i क	
	ख रुपया	i ख	
	ग कुल (i क + ii ख)	i ग	
	ii आवधिक ऋण		
	क विदेशी मुद्रा	ii क	
	ख ऋण रूप में		
	1 बैंकों से	ख 1	
	2 अन्य से	ख 2	
	3 कुल (ख 1 + ख 2)	ख 3	
	ग कुल आवधिक ऋण (ii क + ख 3)	ii ग	
	iii आस्थगित भुगतान का दायित्व	iii	
	iv संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)	iv	
	v अन्य निक्षेप	v	
	vi संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)	vi	
	vii अन्य ऋण और अग्रिम	vii	
	viii दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता	viii	
	ix कुल दीर्घकालिक (i ग + ii ग + iii + iv + v + vi + vii + viii)	3 क	

	ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख	
	ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व				
	i	व्यापार संदेय	i			
	ii	अन्य	ii			
	iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)			3ग	
	घ	दीर्घकालिक विनिधान				
	i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i			
	ii	अन्य	ii			
	iii	कुल (i+ii)			3घ	
	ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ङ	
4	चालू दायित्व					
	क	अल्पकालिक उधार				
	i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण				
		क बैंकों से	i क			
		ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख			
		ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग			
		घ अन्य से	i घ			
		ङ कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)	iङ			
	ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)			ii	
	iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)			iii	
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम			iv	
	v	अन्य निक्षेप			v	
vi	कुल अल्पकालिक उधार (iङ+ii+iii+iv+v)			4क		
ख	व्यवसाय संदेय					
	i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i			
	ii	अन्य	ii			
	iii	कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)			4ख	
ग	अन्य चालू दायित्व					
	i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i			
	ii	वित्तपो-गण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii			
	iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध नहीं है	iii			
	iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध ब्याज	iv			
	v	अग्रिम में प्राप्त आय	v			
	vi	असंदत्त लाभांश	vi			
	vii	प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii			
	viii	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii			
	ix	असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ix			
	x	अन्य संदेय	x			
	xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)			4ख	
II				घ	अल्पकालिक उपबंध	
		i	कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए उपबंध	i		
		ii	आय-कर के लिए उपबंध	ii		
		iii	प्रस्तावित लाभांश	iii		
		iv	लाभांश पर कर	iv		
		v	अन्य	v		
		vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ	
		ङ	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ङ	
कुल शेष और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)				I		
आस्तियां						
1	गैर-चालू आस्तियां					

		क	स्थिर आस्तियां						
		i	मूर्त आस्तियां						
				क	सकल ब्लाक	i			
				ख	अवक्षयण	ix			
				ग	ह्रास से हुई हानियां	ig			
				घ	शुद्ध ब्लाक (i- ix - ig)	ig			
		ii	अमूर्त आस्तियां						
				क	सकल ब्लाक	ii			
				ख	क्रमिक अपाकरण	ii			
				ग	ह्रास से हुई हानियां	ii			
				घ	शुद्ध ब्लाक (ii- ii - ii)	ii			
		iii	पूंजीगत चालू काम			iii			
		iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां			iv			
		v	कुल स्थिर आस्तियां (i + ii + iii + iv)			क v			
		ख	गैर-चालू विनिधान						
			i	संपत्ति में विनिधान	i				
			ii	शेयर लिखतों में विनिधान					
				क	सूचीबद्ध शेयर	ii			
				ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ii			
				ग	योग (ii क + ii ख)	ii			
			iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii				
			iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv				
			v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v				
			vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi				
			vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii				
			viii	अन्य विनिधान	viii				
		ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	खix					
		ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)				ग		
		घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम						
			i	पूंजी अग्रिम	i				
			ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii				
			iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii				
			iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv				

			v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)	घ v			
			vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
				क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है		vi क	
				ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है		vi ख	
				ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2 (22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है		vi ग	
			घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां				
				i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य			
					क		प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i क
					ख		गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i ख
					ग		शंकास्पद	i ग
					घ		कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग)	i घ
				ii	अन्य		ii	
				iii	योग (i घ + ii)		iii	

			iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv			
		ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + ङiii)				1 च	
2	चालू आस्तियां							
		क		चालू विनिधान				
			i	शेयर लिखतों में विनिधान				
			क	सूचीबद्ध शेयर	ik			
			ख	गैर-सूचीबद्ध शेयर	ix			
			ग	योग (ik + ix)	ig			
			ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii			
			iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii			
			iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv			
			v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v			
			vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi			
			vii	अन्य विनिधान	vii			
			viii	कुल चालू विनिधान (ik + ii + iii + iv + v + vi + vii)		कviii		
		ख		संपत्ति-सूची				
			i	कच्चा माल	i			
			ii	चालू काम	ii			
			iii	तैयार माल	iii			
			iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv			
			v	भंडार और स्पेयर	v			

			vi	खुले औजार	vi	ख viii	
			vii	अन्य	vii		
			viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			
		ग	व्यापार प्राप्य			गiii	
			i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
			ii	अन्य	ii		
			iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			
		घ	नकदी और नकद समतुल्य			घv	
			i	बैंक नकद	i		
			ii	चैक, ड्राफ्ट	ii		
			iii	नकद अतिशेन	iii		
			iv	अन्य	iv		
			v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			
		ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			ङiii	
			i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i		
			ii	अन्य	ii		
			iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			
			iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो		ivख	
			क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क		
			ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख		

		आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद गस्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग		
	च	अन्य चालू आस्तियां	च		
	छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)	2छ		
कुल आस्तियां (1च+2छ)				II	

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में 31 मार्च, 2022 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व				
1	साधारण शेयर				
	अ	साधारण शेयर पूंजी			
	i	प्राधिकृत	कi		
	ii	जारी, अभिलेखित और पूरी तरह से भुगतान किया गया	कiii		
	iii	अभिलेखित लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	कii i		
	iv	कुल (कii + कiii)	क+i v		
	आ	अन्य साधारण शेयर			
	i	अन्य रिजर्व			
	क	पूंजी विमोचन आरक्षित	ik		
	ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	ix		
	ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	ig		
	घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	ig		
	ड.	कुल अन्य भंडार (ik + ix + ig + iघ)	id.		
	ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष - वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii		
	iii	कुल (खiड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)	खiii		
	इ	कुल साधारण शेयर (कiv + खiii)	1ग		

2	दायित्व												
	अ	गैर मौजूदा दायित्व											
	I	वित्तीय दायित्व											
		उधारी											
		क	बांड या डिबेंचर										
			1	विदेशी मुद्रा		क 1							
			2	रुपए		क 2							
			3	कुल (1 + 2)							क 3		
		ख	उधार अवधि										
			1	विदेशी मुद्रा		ख 1							
			2	रुपया उधार									
			i	बैंकों से		i							
				ii	अन्य पार्टियों से		ii						
				iii	कुल (i + ii)		ख 2						
		3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)								ख 3		
		ग	आस्थगित संदाय दायित्व									ग	
		घ	निक्षेप									घ	
		ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)									ड.	
		च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता									च	
		छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक									छ	
		ज	अन्य उधार									ज	
		झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)									झ	
	ञ	व्यापार उधार									ञ		
	ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)									ट		
	II	उपबंध											
		क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध				क						
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				ख						
		ग	कुल उपबंध									IIग	
III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)										III		
IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व												
	क	अग्रिम				क							
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)				ख							
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व									IVग		
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झा + Iज + झट + IIग + III + IVग)											2क		
	B	वर्तमान दायित्व											
	I	वित्तीय दायित्व											
		i	उधारी										
		क	मांग पर लौटाने वाले उधार										
			1	बैंकों से				1					
		2	अन्य पार्टियों से				2						
		3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)				3						
			ख	संबंधित दलों से उधार				ख					

		ग निक्षेप	ग				
		अन्य उधार					
	घ (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ					
		कुल उधार (क + ख + ग + घ)				II	
	ii	व्यापार देनदारियां				III	
	iii	अन्य वित्तीय दायित्व					
		क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क			
		ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख			
		ग	अर्जित व्याज	ग			
		घ	अवैतनिक लाभान्श	घ			
		ड	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित व्याज	ड.			
		च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित व्याज	च			
		छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और व्याज	छ			
		ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज			
		झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				III
		iv	कुल वित्तीय दायित्व (झ + झii + झiii)				Iiv
	II		अन्य चालू दायित्व				
		क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क			
		ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
		ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग			
घ		कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)				IIघ	
III		उपबंध					
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क				
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख				
	ग	कुल उपबंध (क + ख)				IIIग	
IV		वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)				IV	
कुल मौजूदा दायित्व (Iiv + IIघ + IIIग + IV)						2ख	
कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)							

II	आस्तियां																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <th data-bbox="405 210 764 241">1</th><th data-bbox="764 210 1394 241">गैर तात्कालिक आस्तियां</th><th data-bbox="1394 210 1449 241"></th></tr> <tr> <td data-bbox="405 241 764 389"></td><td data-bbox="764 241 1394 389"> <table> <tr> <th data-bbox="764 241 836 273">क</th><th data-bbox="836 241 1394 273">संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर</th><th data-bbox="1394 241 1449 273"></th></tr> <tr> <td data-bbox="764 273 836 304"></td><td data-bbox="836 273 1394 304">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 273 1449 304">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 304 836 336"></td><td data-bbox="836 304 1394 336">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 304 1449 336">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 336 836 367"></td><td data-bbox="836 336 1394 367">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 336 1449 367">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 367 836 389"></td><td data-bbox="836 367 1394 389">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 367 1449 389">क घ</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 241 1449 389"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 389 764 421"></td><td data-bbox="764 389 1394 421">ख पूंजीगत कार्य-प्रगति</td><td data-bbox="1394 389 1449 421">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 421 764 452"></td><td data-bbox="764 421 1394 452">ग निवेश सम्पत्ति</td><td data-bbox="1394 421 1449 452"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 452 764 613"></td><td data-bbox="764 452 1394 613"> <table> <tr> <td data-bbox="764 452 836 483"></td><td data-bbox="836 452 1394 483">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 452 1449 483">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 483 836 515"></td><td data-bbox="836 483 1394 515">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 483 1449 515">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 515 836 546"></td><td data-bbox="836 515 1394 546">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 515 1449 546">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 546 836 577"></td><td data-bbox="836 546 1394 577">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 546 1449 577">ग घ</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 452 1449 613"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 613 764 645"></td><td data-bbox="764 613 1394 645">घ साख</td><td data-bbox="1394 613 1449 645"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 645 764 730"></td><td data-bbox="764 645 1394 730"> <table> <tr> <td data-bbox="764 645 836 676"></td><td data-bbox="836 645 1394 676">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 645 1449 676">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 676 836 707"></td><td data-bbox="836 676 1394 707">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 676 1449 707">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 707 836 730"></td><td data-bbox="836 707 1394 730">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 707 1449 730">घ ग</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 645 1449 730"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 730 764 761"></td><td data-bbox="764 730 1394 761">ड. अन्य अमूर्त संपत्ति</td><td data-bbox="1394 730 1449 761"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 761 764 891"></td><td data-bbox="764 761 1394 891"> <table> <tr> <td data-bbox="764 761 836 792"></td><td data-bbox="836 761 1394 792">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 761 1449 792">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 792 836 824"></td><td data-bbox="836 792 1394 824">ख उधारमुक्ति</td><td data-bbox="1394 792 1449 824">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 824 836 855"></td><td data-bbox="836 824 1394 855">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 824 1449 855">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 855 836 891"></td><td data-bbox="836 855 1394 891">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 855 1449 891">उ.घ</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 761 1449 891"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 891 764 922"></td><td data-bbox="764 891 1394 922">च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति</td><td data-bbox="1394 891 1449 922">च</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 922 764 954"></td><td data-bbox="764 922 1394 954">छ बाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां</td><td data-bbox="1394 922 1449 954"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 954 764 1039"></td><td data-bbox="764 954 1394 1039"> <table> <tr> <td data-bbox="764 954 836 985"></td><td data-bbox="836 954 1394 985">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 954 1449 985">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 985 836 1016"></td><td data-bbox="836 985 1394 1016">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 985 1449 1016">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1016 836 1039"></td><td data-bbox="836 1016 1394 1039">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 1016 1449 1039">छ ग</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 954 1449 1039"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1039 764 1070"></td><td data-bbox="764 1039 1394 1070">ज वित्तीय आस्तियां</td><td data-bbox="1394 1039 1449 1070"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1070 764 1102"></td><td data-bbox="764 1070 1394 1102">I निवेश</td><td data-bbox="1394 1070 1449 1102"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1102 764 1133"></td><td data-bbox="764 1102 1394 1133">i साधारण साम्या लिखत में निवेश</td><td data-bbox="1394 1102 1449 1133"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1133 764 1164"></td><td data-bbox="764 1133 1394 1164"> <table> <tr> <td data-bbox="764 1133 836 1164"></td><td data-bbox="836 1133 1394 1164">क सूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1133 1449 1164">i क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1164 836 1196"></td><td data-bbox="836 1164 1394 1196">ख असूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1164 1449 1196">i ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1196 836 1227"></td><td data-bbox="836 1196 1394 1227">ग कुल (i क + i ख)</td><td data-bbox="1394 1196 1449 1227">i ग</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 1133 1449 1227"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1227 764 1258"></td><td data-bbox="764 1227 1394 1258">ii वरीयता शेयरों में निवेश</td><td data-bbox="1394 1227 1449 1258">ii</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1258 764 1290"></td><td data-bbox="764 1258 1394 1290">iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश</td><td data-bbox="1394 1258 1449 1290">iii</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1290 764 1321"></td><td data-bbox="764 1290 1394 1321">iv डिबेंचर या बांड में निवेश</td><td data-bbox="1394 1290 1449 1321">iv</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1321 764 1352"></td><td data-bbox="764 1321 1394 1352">v म्यूचुअल फंड में निवेश</td><td data-bbox="1394 1321 1449 1352">v</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1352 764 1384"></td><td data-bbox="764 1352 1394 1384">vi साझेदारी फर्मों में निवेश</td><td data-bbox="1394 1352 1449 1384">vi</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1384 764 1415"></td><td data-bbox="764 1384 1394 1415">vii साझेदारी फर्मों में निवेश</td><td data-bbox="1394 1384 1449 1415">vii</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1415 764 1464"></td><td data-bbox="764 1415 1394 1464">viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)</td><td data-bbox="1394 1415 1449 1464">जा</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1464 764 1496"></td><td data-bbox="764 1464 1394 1496">II व्यापार स्वीकार योग्य</td><td data-bbox="1394 1464 1449 1496"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1496 764 1527"></td><td data-bbox="764 1496 1394 1527"> <table> <tr> <td data-bbox="764 1496 836 1527"></td><td data-bbox="836 1496 1394 1527">क व्यापार स्वीकार योग्य</td><td data-bbox="1394 1496 1449 1527">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1527 836 1559"></td><td data-bbox="836 1527 1394 1559">ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है</td><td data-bbox="1394 1527 1449 1559">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1559 836 1590"></td><td data-bbox="836 1559 1394 1590">ग संदिग्ध</td><td data-bbox="1394 1559 1449 1590">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1590 836 1621"></td><td data-bbox="836 1590 1394 1621">घ कुल व्यापार प्राप्य</td><td data-bbox="1394 1590 1449 1621">जा II</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 1496 1449 1621"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1621 764 1653"></td><td data-bbox="764 1621 1394 1653">III उधार</td><td data-bbox="1394 1621 1449 1653"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1653 764 1684"></td><td data-bbox="764 1653 1394 1684">i सुरक्षा निक्षेप</td><td data-bbox="1394 1653 1449 1684">i</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1684 764 1733"></td><td data-bbox="764 1684 1394 1733">ii संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)</td><td data-bbox="1394 1684 1449 1733">ii</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1733 764 1765"></td><td data-bbox="764 1733 1394 1765">iii अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)</td><td data-bbox="1394 1733 1449 1765">iii</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1765 764 1796"></td><td data-bbox="764 1765 1394 1796">iv अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))</td><td data-bbox="1394 1765 1449 1796">जा III</td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1796 764 1827"></td><td data-bbox="764 1796 1394 1827">v जा III में शामिल उधार, जो कि-</td><td data-bbox="1394 1796 1449 1827"></td></tr> <tr> <td data-bbox="405 1827 764 1859"></td><td data-bbox="764 1827 1394 1859"> <table> <tr> <td data-bbox="764 1827 836 1859"></td><td data-bbox="836 1827 1394 1859">क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए</td><td data-bbox="1394 1827 1449 1859">v क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1859 836 1890"></td><td data-bbox="836 1859 1394 1890">ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं</td><td data-bbox="1394 1859 1449 1890">v ख</td></tr> </table> </td><td data-bbox="1394 1827 1449 1890"></td></tr> </table>	1	गैर तात्कालिक आस्तियां			<table> <tr> <th data-bbox="764 241 836 273">क</th><th data-bbox="836 241 1394 273">संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर</th><th data-bbox="1394 241 1449 273"></th></tr> <tr> <td data-bbox="764 273 836 304"></td><td data-bbox="836 273 1394 304">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 273 1449 304">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 304 836 336"></td><td data-bbox="836 304 1394 336">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 304 1449 336">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 336 836 367"></td><td data-bbox="836 336 1394 367">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 336 1449 367">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 367 836 389"></td><td data-bbox="836 367 1394 389">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 367 1449 389">क घ</td></tr> </table>	क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर			क सकल ब्लॉक	क		ख मूल्यहास	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	क घ			ख पूंजीगत कार्य-प्रगति	ख		ग निवेश सम्पत्ति			<table> <tr> <td data-bbox="764 452 836 483"></td><td data-bbox="836 452 1394 483">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 452 1449 483">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 483 836 515"></td><td data-bbox="836 483 1394 515">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 483 1449 515">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 515 836 546"></td><td data-bbox="836 515 1394 546">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 515 1449 546">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 546 836 577"></td><td data-bbox="836 546 1394 577">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 546 1449 577">ग घ</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख मूल्यहास	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ग घ			घ साख			<table> <tr> <td data-bbox="764 645 836 676"></td><td data-bbox="836 645 1394 676">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 645 1449 676">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 676 836 707"></td><td data-bbox="836 676 1394 707">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 676 1449 707">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 707 836 730"></td><td data-bbox="836 707 1394 730">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 707 1449 730">घ ग</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख क्षति नुकसान	ख		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	घ ग			ड. अन्य अमूर्त संपत्ति			<table> <tr> <td data-bbox="764 761 836 792"></td><td data-bbox="836 761 1394 792">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 761 1449 792">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 792 836 824"></td><td data-bbox="836 792 1394 824">ख उधारमुक्ति</td><td data-bbox="1394 792 1449 824">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 824 836 855"></td><td data-bbox="836 824 1394 855">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 824 1449 855">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 855 836 891"></td><td data-bbox="836 855 1394 891">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 855 1449 891">उ.घ</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख उधारमुक्ति	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	उ.घ			च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति	च		छ बाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां			<table> <tr> <td data-bbox="764 954 836 985"></td><td data-bbox="836 954 1394 985">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 954 1449 985">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 985 836 1016"></td><td data-bbox="836 985 1394 1016">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 985 1449 1016">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1016 836 1039"></td><td data-bbox="836 1016 1394 1039">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 1016 1449 1039">छ ग</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख क्षति नुकसान	ख		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	छ ग			ज वित्तीय आस्तियां			I निवेश			i साधारण साम्या लिखत में निवेश			<table> <tr> <td data-bbox="764 1133 836 1164"></td><td data-bbox="836 1133 1394 1164">क सूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1133 1449 1164">i क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1164 836 1196"></td><td data-bbox="836 1164 1394 1196">ख असूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1164 1449 1196">i ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1196 836 1227"></td><td data-bbox="836 1196 1394 1227">ग कुल (i क + i ख)</td><td data-bbox="1394 1196 1449 1227">i ग</td></tr> </table>		क सूचीबद्ध साम्य	i क		ख असूचीबद्ध साम्य	i ख		ग कुल (i क + i ख)	i ग			ii वरीयता शेयरों में निवेश	ii		iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		iv डिबेंचर या बांड में निवेश	iv		v म्यूचुअल फंड में निवेश	v		vi साझेदारी फर्मों में निवेश	vi		vii साझेदारी फर्मों में निवेश	vii		viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)	जा		II व्यापार स्वीकार योग्य			<table> <tr> <td data-bbox="764 1496 836 1527"></td><td data-bbox="836 1496 1394 1527">क व्यापार स्वीकार योग्य</td><td data-bbox="1394 1496 1449 1527">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1527 836 1559"></td><td data-bbox="836 1527 1394 1559">ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है</td><td data-bbox="1394 1527 1449 1559">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1559 836 1590"></td><td data-bbox="836 1559 1394 1590">ग संदिग्ध</td><td data-bbox="1394 1559 1449 1590">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1590 836 1621"></td><td data-bbox="836 1590 1394 1621">घ कुल व्यापार प्राप्य</td><td data-bbox="1394 1590 1449 1621">जा II</td></tr> </table>		क व्यापार स्वीकार योग्य	क		ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		ग संदिग्ध	ग		घ कुल व्यापार प्राप्य	जा II			III उधार			i सुरक्षा निक्षेप	i		ii संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii		iii अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		iv अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))	जा III		v जा III में शामिल उधार, जो कि-			<table> <tr> <td data-bbox="764 1827 836 1859"></td><td data-bbox="836 1827 1394 1859">क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए</td><td data-bbox="1394 1827 1449 1859">v क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1859 836 1890"></td><td data-bbox="836 1859 1394 1890">ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं</td><td data-bbox="1394 1859 1449 1890">v ख</td></tr> </table>		क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	v क		ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	v ख		
1	गैर तात्कालिक आस्तियां																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <th data-bbox="764 241 836 273">क</th><th data-bbox="836 241 1394 273">संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर</th><th data-bbox="1394 241 1449 273"></th></tr> <tr> <td data-bbox="764 273 836 304"></td><td data-bbox="836 273 1394 304">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 273 1449 304">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 304 836 336"></td><td data-bbox="836 304 1394 336">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 304 1449 336">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 336 836 367"></td><td data-bbox="836 336 1394 367">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 336 1449 367">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 367 836 389"></td><td data-bbox="836 367 1394 389">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 367 1449 389">क घ</td></tr> </table>	क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर			क सकल ब्लॉक	क		ख मूल्यहास	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	क घ																																																																																																																																																																						
क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर																																																																																																																																																																																					
	क सकल ब्लॉक	क																																																																																																																																																																																				
	ख मूल्यहास	ख																																																																																																																																																																																				
	ग क्षति नुकसान	ग																																																																																																																																																																																				
	घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	क घ																																																																																																																																																																																				
	ख पूंजीगत कार्य-प्रगति	ख																																																																																																																																																																																				
	ग निवेश सम्पत्ति																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 452 836 483"></td><td data-bbox="836 452 1394 483">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 452 1449 483">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 483 836 515"></td><td data-bbox="836 483 1394 515">ख मूल्यहास</td><td data-bbox="1394 483 1449 515">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 515 836 546"></td><td data-bbox="836 515 1394 546">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 515 1449 546">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 546 836 577"></td><td data-bbox="836 546 1394 577">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 546 1449 577">ग घ</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख मूल्यहास	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ग घ																																																																																																																																																																									
	क सकल ब्लॉक	क																																																																																																																																																																																				
	ख मूल्यहास	ख																																																																																																																																																																																				
	ग क्षति नुकसान	ग																																																																																																																																																																																				
	घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	ग घ																																																																																																																																																																																				
	घ साख																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 645 836 676"></td><td data-bbox="836 645 1394 676">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 645 1449 676">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 676 836 707"></td><td data-bbox="836 676 1394 707">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 676 1449 707">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 707 836 730"></td><td data-bbox="836 707 1394 730">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 707 1449 730">घ ग</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख क्षति नुकसान	ख		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	घ ग																																																																																																																																																																												
	क सकल ब्लॉक	क																																																																																																																																																																																				
	ख क्षति नुकसान	ख																																																																																																																																																																																				
	ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	घ ग																																																																																																																																																																																				
	ड. अन्य अमूर्त संपत्ति																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 761 836 792"></td><td data-bbox="836 761 1394 792">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 761 1449 792">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 792 836 824"></td><td data-bbox="836 792 1394 824">ख उधारमुक्ति</td><td data-bbox="1394 792 1449 824">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 824 836 855"></td><td data-bbox="836 824 1394 855">ग क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 824 1449 855">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 855 836 891"></td><td data-bbox="836 855 1394 891">घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)</td><td data-bbox="1394 855 1449 891">उ.घ</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख उधारमुक्ति	ख		ग क्षति नुकसान	ग		घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	उ.घ																																																																																																																																																																									
	क सकल ब्लॉक	क																																																																																																																																																																																				
	ख उधारमुक्ति	ख																																																																																																																																																																																				
	ग क्षति नुकसान	ग																																																																																																																																																																																				
	घ शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)	उ.घ																																																																																																																																																																																				
	च विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति	च																																																																																																																																																																																				
	छ बाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 954 836 985"></td><td data-bbox="836 954 1394 985">क सकल ब्लॉक</td><td data-bbox="1394 954 1449 985">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 985 836 1016"></td><td data-bbox="836 985 1394 1016">ख क्षति नुकसान</td><td data-bbox="1394 985 1449 1016">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1016 836 1039"></td><td data-bbox="836 1016 1394 1039">ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)</td><td data-bbox="1394 1016 1449 1039">छ ग</td></tr> </table>		क सकल ब्लॉक	क		ख क्षति नुकसान	ख		ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	छ ग																																																																																																																																																																												
	क सकल ब्लॉक	क																																																																																																																																																																																				
	ख क्षति नुकसान	ख																																																																																																																																																																																				
	ग शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)	छ ग																																																																																																																																																																																				
	ज वित्तीय आस्तियां																																																																																																																																																																																					
	I निवेश																																																																																																																																																																																					
	i साधारण साम्या लिखत में निवेश																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 1133 836 1164"></td><td data-bbox="836 1133 1394 1164">क सूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1133 1449 1164">i क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1164 836 1196"></td><td data-bbox="836 1164 1394 1196">ख असूचीबद्ध साम्य</td><td data-bbox="1394 1164 1449 1196">i ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1196 836 1227"></td><td data-bbox="836 1196 1394 1227">ग कुल (i क + i ख)</td><td data-bbox="1394 1196 1449 1227">i ग</td></tr> </table>		क सूचीबद्ध साम्य	i क		ख असूचीबद्ध साम्य	i ख		ग कुल (i क + i ख)	i ग																																																																																																																																																																												
	क सूचीबद्ध साम्य	i क																																																																																																																																																																																				
	ख असूचीबद्ध साम्य	i ख																																																																																																																																																																																				
	ग कुल (i क + i ख)	i ग																																																																																																																																																																																				
	ii वरीयता शेयरों में निवेश	ii																																																																																																																																																																																				
	iii सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii																																																																																																																																																																																				
	iv डिबेंचर या बांड में निवेश	iv																																																																																																																																																																																				
	v म्यूचुअल फंड में निवेश	v																																																																																																																																																																																				
	vi साझेदारी फर्मों में निवेश	vi																																																																																																																																																																																				
	vii साझेदारी फर्मों में निवेश	vii																																																																																																																																																																																				
	viii कुल गैर-मौजूदा निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)	जा																																																																																																																																																																																				
	II व्यापार स्वीकार योग्य																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 1496 836 1527"></td><td data-bbox="836 1496 1394 1527">क व्यापार स्वीकार योग्य</td><td data-bbox="1394 1496 1449 1527">क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1527 836 1559"></td><td data-bbox="836 1527 1394 1559">ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है</td><td data-bbox="1394 1527 1449 1559">ख</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1559 836 1590"></td><td data-bbox="836 1559 1394 1590">ग संदिग्ध</td><td data-bbox="1394 1559 1449 1590">ग</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1590 836 1621"></td><td data-bbox="836 1590 1394 1621">घ कुल व्यापार प्राप्य</td><td data-bbox="1394 1590 1449 1621">जा II</td></tr> </table>		क व्यापार स्वीकार योग्य	क		ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख		ग संदिग्ध	ग		घ कुल व्यापार प्राप्य	जा II																																																																																																																																																																									
	क व्यापार स्वीकार योग्य	क																																																																																																																																																																																				
	ख असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख																																																																																																																																																																																				
	ग संदिग्ध	ग																																																																																																																																																																																				
	घ कुल व्यापार प्राप्य	जा II																																																																																																																																																																																				
	III उधार																																																																																																																																																																																					
	i सुरक्षा निक्षेप	i																																																																																																																																																																																				
	ii संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii																																																																																																																																																																																				
	iii अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii																																																																																																																																																																																				
	iv अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))	जा III																																																																																																																																																																																				
	v जा III में शामिल उधार, जो कि-																																																																																																																																																																																					
	<table> <tr> <td data-bbox="764 1827 836 1859"></td><td data-bbox="836 1827 1394 1859">क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए</td><td data-bbox="1394 1827 1449 1859">v क</td></tr> <tr> <td data-bbox="764 1859 836 1890"></td><td data-bbox="836 1859 1394 1890">ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं</td><td data-bbox="1394 1859 1449 1890">v ख</td></tr> </table>		क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	v क		ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	v ख																																																																																																																																																																															
	क व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	v क																																																																																																																																																																																				
	ख व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	v ख																																																																																																																																																																																				

					ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	घ	
			IV	अन्य वित्तीय आस्तियां				
				i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप		i	
				ii	अन्य		ii	
				iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)			ज IV
			झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)				
			ञ	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
				i	पूंजीगत अग्रिम		i	
				ii	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		ii	
				iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii	
				iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)			ज
				v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां		v	
			कुल गैर - मौजूदा आस्तियां (कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चघ + छग + जI + जII + जIII + जIV + झ + ज)					1
	2		वर्तमान आस्ति					
			क	वर्तमान आस्ति				
				i	कच्चा माल		i	
				ii	कार्य प्रगति पर है		ii	
				iii	तैयार माल		iii	
				iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)		iv	
				v	स्टोर और पुर्जों		v	
				vi	हीला टूल		vi	
				vii	अन्य		vii	
				viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2क
			ख	वित्तीय आस्तियां				
			I	निवेश				
				i	साम्या लिखत में निवेश			
				क	सूचीबद्ध साम्या		i क	
				ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर		i ख	
				ग	कुल (i क + i ख)		ig	
				ii	वरीयता शेयरों में निवेश		ii	
				iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii	
				iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश		iv	
				v	म्यूचुअल फंड में निवेश		v	
				vi	भागीदारी फर्मों में निवेश		vi	
				vii	अन्य निवेश		vii	
				viii	कुल वर्तमान निवेश (ig + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
			II	व्यापार स्वीकार योग्य				

			i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		II
			ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
iii			संदिग्ध	iii			
iv			कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)				
III		नकद और नकद समकक्ष					III
		i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i			
		ii	उपलब्ध चेक और ड्राफ्ट	ii			
		iii	हाथ में पैसा	iii			
		iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv			
		v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)				
IV		उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष					IV
V		उधार					V
		i	सुरक्षा निक्षेप	i			
		ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii			
		iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
		iv	कुल उधार (i + ii + iii)				
		v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-				
				क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक	vग
	ख			व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग			आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक			
	VI	अन्य वित्तीय आस्तियां					VI
	कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)						2ख
	ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)					2ग
	घ	अन्य मौजूदा आस्तियां					2घ
		i	पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i			
		ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii			
		iii	कुल				
कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)						2	
कुल आस्तियां (1 + 2)						II	

भाग क-

विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट		
	क प्रारम्भिक तालिका		
	i कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i	

		ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
		iii	योग (i + ii)			कiii
		ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख
		ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
		घ	प्रत्यक्ष कर (घi + घii + घiii)			घ
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
		ङ	कारखाना अधिव्यय			
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
		ii	कारखाना किराया और दर	ii		
		iii	कारखाना बीमा	iii		
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
		v	कारखाना साधारण व्यय	v		
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
		Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			ङvii
		च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च
2	अंत स्टॉक					
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
			योग (2i + 2ii)			2
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)					3

**भाग क –
व्यापार लेखा**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iii क		
		ख		iii ख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv	योग (i + ii + iii ग)			कiv
		ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
		ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर			
		i	संघ उत्पाद कर	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गix
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)				4घ
व्यापार लेखा में विकलन	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				5
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)				6
	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक				7
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9
		i	आवक वहन व्यय	i		

	ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत				11
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				12
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त				12क
12ख	दिन भर व्यापार से आय				12ख

भाग क – लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13	
14	अन्य आय				
	i	किराया	i		
	ii	कमीशन	ii		
	iii	लाभभांश आय	iii		
	iv	व्याज आय	iv		
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43क के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x	कृषि आय	x		
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xiक		
		ख	xiख		
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग	
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)	14xii		
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)			15	
16	जावक भाड़ा			16	
17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17	
18	विद्युत और ईंधन			18	
19	किराया			19	
20	भवन की मरम्मत			20	
21	मशीनरी की मरम्मत			21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वितन और मजदूरी	22i		

लाभ हानि लेख में जमा

लाभ और हानि खाते में देय

	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi
		xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक		हां / नहीं
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23		बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	की-मैन बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24	
25	मनोरंजन				25	
26	आतिथ्य				26	
27	सम्मेलन				27	
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28	
29	विज्ञापन				29	
30	कमीशन					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				30iii
31	स्वामिस्व					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34	
35	विदेशी यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	उत्सव समारोह व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	उपहार				42	
43	दान				43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)					

	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		46iii	
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	(i1)		47i(1)		
	(i2)		47ii (2)		
	(i3)		47i(3)		
		पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47i(2)+47i(3))	47iv		
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47v		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47i(1)		
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		48	
49		अन्य उपबंध		49	
50		व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]		50	
51		व्याज			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52	
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)		53	
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध		54	
55		आस्थगित कर के लिए उपबंध		55	
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57	
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
59		विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभान्श/अन्तरिम लाभान्श	59ii		
	iii	लाभान्श पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभान्श पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60		तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60	
61		धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			

47i

47ii

47iii

क्र. सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन
	माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)
			उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की गई थी/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी
			माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)
(क)			
(ख)			
		कुल	
	यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)		
(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]		61(ii)
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है		
62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखख या 44घ में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
	क सकल प्राप्ति/आवर्त		62क
	ख शुद्ध लाभ		62ख

भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट			
	क	आरम्भिक तालिक		
		I	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii
		iii	योग (i + ii)	कiii
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)		ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय		घ
		i	आवक वहन व्यय	i
		ii	विद्युत और ईंधन	ii
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii
	ड	कारखाना उपरिव्यय		
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	
		II	कारखाना किराया और दर	
		III	कारखाना बीमा	
		IV	कारखाना ईंधन और विद्युत	

		V	कारखाना साधारण व्यय			
		Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण			
		Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		डvii	
	च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +डvii)			1च	
	2	अन्त स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i			
		ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2	
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3	

भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालनों से राजस्व				
	क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iii क		
		ख		iii ख		
		ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग		
		iv	योग (i + ii + iii ग)		कiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख	
व्यापार लेखा में देय	ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i			
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)			4घ	
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक			5	
	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)			6	
	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक			7	
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			8	
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय				
		टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii			
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदेय या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क	10i			
		प्रतिरोधी शुल्क	10ii			
		विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii			
		संघ उत्पाद शुल्क	10iv			
		सेवा कर	10v			
		मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi			
		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii			

	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत				11
12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				12
12क	दिन भर व्यापार से आवर्त				12क
12ख	दिन भर व्यापार से आय				12ख

**भाग क – लाभ और हानि
भारतीय लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेख में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ				13	
	14	अन्य आय					
	i	किराया	i				
	ii	कमीशन	ii				
	iii	लाभांश आय	iii				
	iv	व्याज आय	iv				
	v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v				
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi				
	vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii				
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii				
	ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix				
	x	कृषि आय	x				
	xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क	xiक				
लाभ और हानि खाता में देय		ख	xiख				
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)				14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)				15	
	16	जावक भाड़ा				16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग				17	
	18	विद्युत और ईंधन				18	
	19	किराया				19	
	20	भवन की मरम्मत				20	
	21	मशीनरी की मरम्मत				21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वेतन और मजदूरी	22i				
	ii	बोनस	22ii				
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii				
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv				
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v				
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi	

	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiii	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiiब		
23	बीमा				
	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी है	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	आतिथ्य				26
27	सम्मेलन				27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस				
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				

		i		i		
		ii		ii		
		iii	योग (i + ii)			
						46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		(i1)				47(i1)
		(i2)				47i(2)
		(i3)				47i(3)
			पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)	47i		
		ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47ii		
		iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47iii		
		iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)			47iv
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध					48
49	अन्य उपबंध					49
50	व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]					50
51	व्याज					
		i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
		ii	अन्य को	ii		
		iii	योग (i + ii)			51iii
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण					52
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)					53
54	वर्तमान कर के लिए उपबंध					54
55	आस्थगित कर के लिए उपबंध					55
56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)					56
57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष					57
58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)					58
59	विनियोग					
		i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
		ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
		iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
		iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
		v	कोई अन्य विनियोग	59v		
		vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)					60
61	क	ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
		i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
		ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
		iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii		
		iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
		v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
		vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
		vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
		viii	योग			61क
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				
		i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
		ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii		
		iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		

	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
	vii	योग			61ख
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो:-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क	
	ख	परफॉर्मा जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख	
	ग	पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
	6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकम		
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग		
घ	उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ		
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ		
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च		
छ	अनुमोदित अधिवर्गिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ		
ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज		
झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ		

ज	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्गिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत् प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
घ	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ)	6घ	
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिनिद्ध है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7 झ का योग)	7	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(ix) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ	
च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच	
छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ	

		ब्याज, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
		कोई अन्य अननुज्ञेय	अज्ञ		
		धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अज्ञ का योग)	8अज		
		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम	8आ		
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें				
ख	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृति योग अकाउंट पेयी चैक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)	9च		
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवारिंकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	10घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10ज		
11	पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम				
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवारिंकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	किसी भी ऋण या जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे ऋण या उधार को नियंत्रित करने वाले समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार ब्याज के रूप में देय राशि	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		

12	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
	12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
	13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13	
	14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14	
	15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15	
	16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम		16	
	17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2 के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17	

भाग क - मात्रात्मक
ब्यौरे

मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)

मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में		
	1	आरंभिक स्टॉक	1	
	2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2	
	3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3	
	4	अंतिम स्टॉक	4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में		
	6	कच्चा माल		
	क	आरंभिक स्टॉक	6 क	
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख	
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग	
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ	
	च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
	छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
	ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद		
	क	आरंभिक स्टॉक	7 क	
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख	
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ	अंतिम स्टॉक	7 ङ	
	च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क- ओ
एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

1	आरम्भिक अतिशेष			
	i हाथ नकदी	1i		
	ii बैंक	1ii		
	iii कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
2	प्राप्तियाँ			
	i ब्याज	2i		
	ii लाभांश	2ii		
	iii आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	2iii क		
	ख	2iii ख		
	ग	2iii ग		
	घ कुल (iii क + iii ख + iii ग)	2iii घ		
	iv देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v अन्य (कृपया बताएं क्या राजस्व/पूंजीगत/प्रकृति एवं राशि)			
	क	2v क		
	ख	2v ख		
	ग कुल अन्य प्राप्ति (v क + v ख)	2v ग		
	vi कुल प्राप्ति (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi		
3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्ति		3	
4	संदाय			
	i प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv कमीशन	4iv		
	v अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
	क	4v क		
	ख	4v ख		
	ग अन्य संदायों का योग (4v क + 4v ख)	4v ग		
	vi कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi		
	5	अंत अतिशेष		
	i हाथ नकदी	5i		
	ii बैंक	5ii		
	iii कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii		
6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6	

विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू भरें

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राफ्ट डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)				
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)
	I				
	II				
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)
					किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य 1क ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती 1ख ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर 1ग घ योग (1ख + 1ग) 1घ ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है 1ङ च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ) 1च छ 1च का 30% 1छ ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज 1ज झ योग (1छ + 2ज) 1झ ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30% 1ञ ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ) 1ट					
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट करें)					
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %					
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)	
I					
II					
[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	
				किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम) 2क ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती 2ख ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर 2ग घ योग (2ख + 2ग) 2घ ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ) 2ङ च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ) 2च छ 1च का 30% 2छ ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज 2ज झ योग (2छ + 2ज) 2झ ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया /वसूल न होने वाला किराया घटा 30% 2ञ ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ) 2ट					
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*			3	

4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें)	4
टिप्पण ▶ यदि धारा 194ख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है। यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।		

अनुसूची – कारबार या वृत्ति
कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		1	
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)	1	
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविष्ट करें)	2क	
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविष्ट करें)	2ख	
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय या पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन या धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन समझा जाएगा	क	गृह संपत्ति
			ख	पूंजी अभिलाभ
			ग	अन्य स्रोत
			गi	लाभांश आय
			गii	लाभांश आय के अलावा
			घ	115खखच के अधीन
			ङ	115खखछ के अधीन
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कड/ 44घ/ 44घक/44घख/ अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4क	
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख	
	4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग	
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क
		ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	
		i		गi
		ii		गii
		iii	कुल (गi + गii)	5गiii
	घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)		5घ
	6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 4- 5घ)		6
	7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो धारा 115खखच के अधीन या धारा 115खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा	क	स्वामित्व संपत्ति
			ख	पूंजी अभिलाभ
			ग	अन्य स्रोत
			घ	115खखच के अधीन
			ङ	115खखछ के अधीन
	8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है		8क
	8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-णञ का 16) के अधीन अनन्यज्ञात हैं		8ख
	9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8क + 8ख)		9
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10
	11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण		11
	12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
		i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i
		ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii
		iii	कुल (12i + 12ii)	12iii
	13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13

14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)	14		
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट)	15		
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कज)	16		
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)	17		
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज)	18		
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज	19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21		
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22		
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23		
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और व्याज सहित)	24		
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25		
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28		
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29		
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची ईएसआर का मद 4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31		
32	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	32		
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33		
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4झ)	34		
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)		35	
36	आय (13+26-35)		36	
37	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i		
	ii धारा 44ख	37ii		
	iii धारा 44खख	37iii		
	iv धारा 44खखक	37iv		
	v धारा 44खखख	37v		
	vi धारा 44घ	37vi		
	vii धारा 44घक	37vii	(प्रारूप 3 गड की मद 4)	
	viiक धारा 44घख	37viiक		
	viii अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii	(प्रारूप 6 के मद 10 के स्तंभ	
	ix आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix		
	x कुल (37i to 37ix)		37x	
38	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)		38	

39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रविट करेकं जो 35 में है करने के पश्चात् विशेष-कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद च का 2अ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)	अ39	
	क नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39क	
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख	
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग	
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ	
	ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ	
	च नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च	
40	वित्त अधिनियम [4ग -(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष	40	
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना			
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	41	
42	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	42	
43	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां	43	
44	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें)	44ख	
इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
45	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	45	
46	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़	46	
47	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	47	
48	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)	48	
49	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	49	
50	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 - 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)	इ50	
51	धारा 35कघ की उपधारा (5) के ऐसे ससंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (डॉप डाउन मेन्यू से चयन करने	इ51	
ई	लाभ और हानि शी-ई के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)	ई	
उ चालू वर्ग में कारबार हानि का अन्तःशी-ई मुजरा			
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ग की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि कारबार अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा पश्चात् बची हुई
		(1)	(2) (3) = (1) -
i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख44)	
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग50)	
Iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(4ख)	
V	कुल हानि मुजरा (ii + iii)		
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i - v)		

अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण				

6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आसूति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5+8-3-4-7-19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							

13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)						
14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)						
15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षयण (स्तंभ 14 के बाहर)						
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं)	1ग		
	घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ		
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ		
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)		3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)		4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)		5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)		6	

अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)	1ङ		
2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			
क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		

ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)		3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)		4	
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)		5	
6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)		6	

अनुसूची - इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें			

अनुसूची-पूंजी अभिलाभ
पूंजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)	क 1 ड
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरें)
	क	i प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य
		ii स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य
		iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य
		[यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
		iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	ग	तुलन कiii - ख iv
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)
	ड	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम
		क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.
		शेयर प्रतिशत
		रकम
		संपत्ति का पता, देश कोड , ज़िप कोड
		पिन कोड राज्य
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें
	2	स्लम्य विक्री से
	क	i नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य
		ii नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य
		iii प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)
		2कi
		2कii
		2कiii

3	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख		
	ग	स्लम की बिक्री से लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (2कiii - 2 खे)			क 2 ग
	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii		
		iv योग(i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (3 क - ख iv)	3 ग		
4	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्थ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 3 ङ
	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं हैं किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभार्थों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है			क 4 क
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है			क 4 ख
	5 अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)				
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
5		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (5 क iii- ख iv)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्थ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)			क 5 ङ
	6 पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।	i क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv		

ग	शेन (6 क iii – ख iv)	6 ग
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि-उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ
च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटीती	6 च
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ + 6 च)	6 छ

7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं	
क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटीती का दावा किया गया है
i	2018-19	54घ/54छ/54छक
ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	
	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)	
8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)	
क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8क
ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ख
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित हैं परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:	
क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद जिसमें सम्मिलित है
I	(1)	(2)
II	(3)	(4)
	(5)	(6)
	(7)	(8)
	(9)	(10)
क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि	क9क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम	क9ख
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4 ख+ क5 ङ+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)	क10
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)	
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्योरे पृथक रूप से भरें)	
क	i प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का
	ii स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii
	iii पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (काii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें)	काiii
ख	धारा 48 के अधीन कटीतियां	
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
	iii पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii

2	रलम्प विक्री ले					
	क	i	नियम 11प.क.ड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2का		
		ii	नियम 11प.क.ड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii		
		iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)	2कiii		
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य		2 ख		
	ग	शेन (2कiii – 2 ख)		2 ग		
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती		2 घ		
	ड	रलम्प के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)			ख 2 ड	
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)					
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य		3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क – 3 ख iv)		ख 3 ग		
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किंसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।					
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य		4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)		ख 4 ग		
5	किंसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किंसी कारवार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदल है					
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)				ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)					
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ				ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तंभ ख8 भरा जाएगा)					
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित व्योरा दीजिए:-			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क		
		ख	विहित सीत से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii	कुल (iग + ii)	क iii		

	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i								
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii								
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii								
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)				ख 7 ग						
8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारखाने न्यास की ईकाई से जस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है										
	उपरोक्त ख 8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का					ख 8					
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं										
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-								
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का							
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य							
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग						
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा								
		iii	कुल (ग + ii)		क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख							
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv								
ग	(9 क iii - ख iv)		7 ग								
घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54जक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ								
ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)				ख 9 ङ						
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व व-1 के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस व-1 के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?										
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं										
	क्रम सं.	पूर्व व-1 में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस व-1 में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि						
		i	2018-19	54घ/54छ/54जक	व-1 जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि					
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)					ख 10					
	11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख 12क1+ख 12क2 + ख 12ख)				ख 11					
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास		ख 11क1							
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास		ख 11क2							
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास शून्य आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय		ख 11ख							
	12	एलटीसीजी की रकम जो ख 1- ख 11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष-1 दर पर कर प्रभाय है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
		क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या (9)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I											
II											
क		डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि								ख 12क	
ख		डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय एलटीसीजी की कुल राशि								ख 12ख	
13		कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख 9ङ + ख 10 + ख 11 - ख 12क) (यदि क्षति हो तो ख 3 को शून्य के रूप में लें)									ख 13

ग	“पूँजी अभिलाम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)	ग	
घ	पूँजी अभिलाम के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी		
1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित व्यौरे दें ।		
क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख से पहले पूँजी अभिलाम योजना में जमा राशि	क iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
ख	धारा 54 ङ ग के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिर्दिष्ट की गई रकम (पचास लाख से	ख ii	
iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
ग	धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती		
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाम खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
घ	धारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती		
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पहले पूँजी अभिलाम खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v	
ङ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)		
		1 ङ	

खपूँजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत											
क्र. सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार		चालू वर्ग क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
				15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
				1	2	3	4		5	6	
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)			(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड*+ *+ अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii		15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)								
iii	लघु अवधि पूंजी	30%	अ5ड*+ अ8ख*								
iv	अभिलाभ	लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)								
v		डीटीएए	अ9ख*								

	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ					
2	30% की दर से प्रभाय अल्पकालिक अवधि पूँजी अभिलाभ					
3	लागू दर से प्रभाय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि					
4	डीटीएए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई					
5	10% की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई					
6	20% की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई					
7	डीटीएए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii से मूल्य भरें, यदि कोई					

[illegible]

[illegible]

અનુસૂચી-અન્ય સ્ત્રોત

1	सामान्य लाभू दत्तों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
	क	लाभांश, सकल			1क	
		i	धारा 2(22)(इ) के तहत लाभांश आय		कi	
		ii	(i) के अलावा लाभांश आय		कii	
	ख	ब्याज, सकल (खां + खii + खiii + खiv + खv)			1ख	
		i	संचित बैंक खाता	खां		
		ii	जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खii		
		iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii		
		iv	आय/धति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv		
		v	अन्य	खv		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	
घ	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)			1घ		
		i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi		
		ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
		iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
		iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें				
	क्रम सं	प्रकृति			राशि	
	1					
	लाइन जोड़े					
2	विशेष दत्तों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1)				2	
	क	लाटरी वर्ग पहेली इत्यादि की जीत के रूप में आय			2क	
	ख	धारा 115खखघ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
		vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		

[illegible]

3	धारा 57 के अधीन कटौतियाँ (2क, 2ख, 2ग और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)						
	क	व्यय/ कटौतियाँ “ग” में इंद्रराज के अलावा	3क				
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)	3ख				
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभान्श पर व्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंद्रराज	3ग				
	गं	धारा 57(i) के तहत योग्य व्याज व्यय-कलित राशि	3गं				
	घ	योग	3घ				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						5
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद -3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3x में अंकों को रखें)						6
7	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7
8	धुड़ दौड़ के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय।						
	क	प्राप्तियाँ	8क				
	ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11xv के अंक प्रविष्टि करें)	8ड				
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)						9
10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोत्तन/प्राप्ति के बारे में जानकारी						
	क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहलियों दौड़, खेलों, घुत, शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय					
2		क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभान्श पर आय					
3		धारा 115क(1)(क)(i) के तहत 20% की दर से लाभान्श आय (पी टी आई आय शामिल)					
4		धारा 115कघ के तहत 10% की दर से लाभान्श आय					
5		धारा 115खखघ के तहत 15% की दर से लाभान्श आय (पी टी आई आय शामिल)					
6		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
7		धारा 115कघ (1)(i) के तहत 10% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभान्श आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
8		डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभान्श आय					

अनुसूची सीवाईएलए चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकड़े नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी की मद च का 2)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3)				
v	सट्टे से आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बीपी अनुसूची की मद ड का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	दौड़ के घोड़ों का सौमित्र रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बीएफएलए पूर्व वॉ की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)		
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)		
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)			
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)		
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)			
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि				
xvii	चालू र्वा की मुजरे के पश्चात् शो बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)				

[illegible]

xvii	भावी वर्गों को अग्रनयन की गई कुल हानि (xii-xiii+xvi)									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची -अनामेमित अवक्षयण
धारा 35(4) के अधीन अनामेमित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रनीत अनामेमित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1 रकम	अग्रनीत अनामेमित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रनीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र० सं०	रकम	
	क	उपक्रम सं० 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ख	उपक्रम सं० 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख)				
	ग					

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान
	i					

	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	संदान की रकम		संदान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राफ्ट डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरें [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
		नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	योग				

अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80झक (4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80झक (4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घ	धारा 80झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1)					घ

अनुसूची 80 झख		धारा 80-झख के अधीन कटौती		
क	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती [धारा80झख(4)]	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती [धारा80झख(8क)]	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ख 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है [धारा80झख(9)]	ग 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ग 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(10)]	घ 1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		घ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ङ	फल और सब्जियों,मांस,मांस उत्पाद,कुक्कुट,समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ 2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
च	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती [धारा80झख(11क)]	ङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
छ धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क1 से च 2 का योग)				
छ				

अनुसूची-80-झग या 80-झङ

धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
				क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
				ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
				ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती					
घक असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घख अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घग मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घघ मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घङ मेघालय	घङ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घङ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घच नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घछ त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
	घछ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)			
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)					
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)			ङ		

अनुसूची-VI-क		अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां		
कुल कटौतियां	1 भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती			
	क 80छ	ख 80छख		
	ग 80छछक	घ 80छछग		
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)			1
कुल कटौतियां	2 भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती			
	ङ 80झक	(अनुसूची 80 झक का च)	च 80झकख	
	छ 80झकग		ज 80झख	(अनुसूची 80 झख का ण)

झ	80झखक		ज	80झग/ झड.	(अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.)	
ट	80जजक		ठ	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलपक में क्रम सं. 5I(अiv) +5II)	
ड	80डक(1)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80डक(1क)	(प्ररुप 10गगच का उपाबंध 9)	
ण	80फ- ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार लाभान्श वितरण का विवरण		त	80तक		
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से त)					2
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)					3

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनिटों की विक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐		(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवन बीमा कारबार के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीएफएलए का 5iii)	
13क	115कग (विदेशी करसी में क्रय किए गए बंधपत्रों से प्राप्त ब्याज से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग x)	
13ख	धारा 115कग के तहत प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभान्श पर आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xi)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभान्श)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 2ग xi)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2ग xix)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xvii)	
19	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग xviii)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य सत्रों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2ड का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का 5vi का भाग)	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का 5vii का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थू आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का 5x का भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभाय अन्य सत्रों की प्रकृति की पास थू आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
27	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2ग x)	

28	रायल्टी से आय जहाँ 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहाँ करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।	□	50	(अनुसूची ओएस का 2ग xix)	
29	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभावी होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्राप-डाउन दिया जाएगा)	□		(अनुसूची ओएस का 2ग का भाग)	
			योग		

अनुसूची झ.च अनिगमित संस्थाओं में निवेश के संबंध में सूचना

संस्था जिसमें निवेश किया गया	संस्थाओं की संख्या जिसमें निवेश किया गया है							
	क्रम सं.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	संस्था का पैना	क्या संस्था परीक्षा के लिए उत्तरदायी है? (हां/नहीं)	क्या संस्था पर धारा 92ड लागू होती है? (हां/नहीं)	संस्था के लाभ का शायर प्रतिशत	संस्था में 31 मार्च को पूंजीगत शेष
							I	ii
1								
2								
3								
4	कुल							

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के व्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभावी नहीं है।)

छूट प्राप्त आय

1	व्याज से आय							1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i			
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii			
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) तथा 8 से संबंधित कृषि आय (अनुसूची बी.पी के क्रम सं. 40 से)				iv			
	v	वर्ष (i-ii-iii+iv) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)							2
	vi	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित व्यौरें दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से व्यौरा दीजिए)							
		क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है						
		ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम						
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
		घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
3	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें) (3क+3ख+3ग+3घ)							3	
	क	धारा 10(23चख), 10(23चखक), 10 (23चग), 10(23चगक), 10(23चड), 10(23चच), 10(4घ) के तहत ड्रापडाउन प्रदान करें तथा पंक्ति विकल्प शामिल करें।				3क			
	ख	कोई अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट करें)- प्रदत्त आय की प्रकृति वर्णन करें।				3ख			
4	डीटीए के अनुसार आय जो कर से प्रभाय नहीं है								
	क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)		
	I								
	II								
	III	डीटीए से कुल आय जो कर से प्रभाय नहीं है							4
5	पास थू आय जो कर से प्रभाय नहीं है (अनुसूची पीटीआई)							5	
6	योग (1+2+3क+3ख+4+5)							6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारवार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारवार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शायर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती , यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)				i	गृह संपत्ति											
					ii	पूँजी अभिलाभ											
						क	अल्पकालिक अवधि										
							का	धारा 111क									
							काii	अन्य									
							ख	दीर्घकालिक अवधि									
							खा	धारा 112									
							खाii	धारा 112A									
					iii	अन्य स्रोत											
						क	लाभांश										
						ख	अन्य										
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी											
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन										
							ख	धाराके अधीन									
							ग	धारा.....के अधीन									
					2.					i	गृह संपत्ति						
										ii	पूँजी अभिलाभ						
											क	अल्पकालिक अवधि					
												का	धारा 111क				
												काii	अन्य				
ख	दीर्घकालिक अवधि																
खा	धारा 112क																
खाii	धारा 112क से भिन्न																
iii	अन्य स्रोत																
	क	लाभांश															
	ख	अन्य															
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी																
	क	धारा 10(23चखख) के अधीन															
		ख	धाराके अधीन														
		ग	धारा.....के अधीन														

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची एमएटी		धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविष्ट करें)/(भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क

	ख	आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख		
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग		
	घ	समनुंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ		
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभंश	5ङ		
	च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च		
	छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ		
	ज	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
	झ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
	ञ	115खखच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
	ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षयण	5ट		
	ठ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	ड	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+5ड)	5ड		
6	कटौतियां				
	क	आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115जख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रनित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशि-ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+6ट)	6ठ		
7	धारा 115झख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ड – 6ठ)				7
8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे व्यौरे प्रस्तुत करें।			☐ हां ☐ नहीं	
	क. धारा 115जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के	8क		

	विवरण में अन्य व्यापक आय		
ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
ग	धारा 115जख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
ख. धारा 115जख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती			
च	शीर्ष वे मर्दे, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115जख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115जख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
क	धारा 115जख के अधीन आई.एफ.एस.सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	9क	
ख	धारा 115जख के अधीन इकाईयों (9-9क) के अलावा समायोजित कुल आय	9ख	
10	धारा 115झख के अधीन संदेय कर [(9क) का 9% + (9ख) का 15%]	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 जकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना				
1	निर्धारण वर्ा 2022-23 में धारा 115जख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)				1	
2	निर्धारण वर्ा 2022-23 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)				2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]				3	
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ा के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अध्वधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ा (क)	एमएटी प्रत्यय		चालू वर्ा के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]
			सकल (ख1)	पूर्व के वर्ाों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशे-1 (ख3) = (ख2) - (ख1)	
	I	2008-09				
	ii	2009-10				
	iii	2010-11				
	iv	2011-12				
	v	2012-13				
	vi	2013-14				
	vii	2014-15				
	viii	2015-16				
	ix	2016-17				
	x	2017-18				
	Xi	2018-19				
	Xii	2019-20				
	Xiii	2020-21				
	Xiv	2021-22				
	xv	2022-23 I(का क्रम संसं1 -क्रम सं2)- अनुसूची भाग ख का क्रम सं 6ग-2च) टीटीआई केवल यदि सकारात्मक है)				

	xvi	योग					
5	वर्ग के दौरान उपयोग की गई धारा 115जकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xvi) प्रवि-ट करें]						5
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्गों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [4(घ) xvi प्रवि-ट करें]						6

अनुसूची-बीबीएस

शेयरों की पुनःखरीद पर घरेलू कंपनी की वितरित आय पर कर के ब्यौरे

क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर कर	क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	
	(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)	
	1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ग)	(दिन/मास/वर्ग)	(दिन/मास/वर्ग)	
	2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम					
	3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम					
	4	कंपनी की वितरित आय (2 – 3)					
	5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क			
			ख	क पर अधिभार			
			ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर			
			घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)			
	6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज					
	7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+ 6)					
	8	संदत्त कर और ब्याज					
	9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)					
	10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1 (दिन/मास/वर्ग)	तारीख 2 (दिन/मास/वर्ग)	तारीख 1 (दिन/मास/वर्ग)	तारीख 2 (दिन/मास/वर्ग)
	11	बैंक और शाखा का नाम					
	12	बीएसआर कोड					
	13	चालान की क्रम संख्या					
	14	जमा रकम					

अनुसूची टीपीएस ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार धारा 192 गअ(2क) में द्वितीयक समायोजन पर कर का विवरण

धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड(2क) के अन्तर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है तथा ऐसी जयादा राशि निर्धारित समय के भीतर प्रत्यावर्तित नहीं की गई है (कृपया समस्त नि. वर्षों के संबंध में किए गए समायोजन का कुल योग इंगित करें)						
	2	क	उपरोक्त पर 18% की दर से देय अतिरिक्त आय कर					
		ख	क पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर					
		घ	(क+ख+ग) पर देय कुल अतिरिक्त कर					
	3	अदा किए गए कर						
	4	(2घ-3) देय निवल कर						
	5	धारा 92गड(2क) के अनुसार द्वितीय समायोजन पर कर के जमा करने की तारीख	दिनांक 1	दिनांक 2	दिनांक 3	दिनांक 4	दिनांक 5	दिनांक 6
			(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक तथा शाखा का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम सं.						
9	जमा की राशि							

क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण व्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	जिप कोड	आस्ति की	स्वामित्व-	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान	संपत्ति से प्रोदभूत	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

	और कोड		प्रकृति	सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी		(लागत पर) (रु. में)	आय		राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ड	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।										
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय	
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है										
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											
(ii)											

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1

असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति (एक कंपनी से भिन्नि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

यदि आप असूचीबद्ध कम्पनी है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन / आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्राप्ति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्राप्ति	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

अनुसूची एसएच-2 स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए संबंधित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को ड्रॉप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन/आधार सं.	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

टिप्पण पदों- “जोखिम पूंजी कंपनी”, “जोखिम पूंजी निधि” और “विनिर्दिष्ट कंपनी”, की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें

अनुसूची ए.एल-1 वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज़ापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची ए.एल-2 भरना जाना है)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

क.	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
(ii)													
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष			
	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष	
			शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

	प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या अनुसूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां					वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष	
			प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
	अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम	वर्ष के दौरान निकाली गई रकम	वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	अंत अतिशेष						
छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारित का सार्वजनिक कारबार नहीं है)												
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					
ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे												
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा												
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)								
ञ	दायित्वों के ब्यौरे												
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे												
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)					

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची ए.एल-2 वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
(ii)								
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारित का सार्वजनिक कारबार नहीं है)							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदर्भ हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदर्भ की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को लिए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि कोई हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.		अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा		अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा		अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
झ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्वियों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ► कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

अनुसूची एफ.डी

विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

क्रम सं.		रकम (रुपये में)
i	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
iii	पूंजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

क्र.सं.	विवरण	1
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रविट करें यदि हानि हो)	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
कुल आय	i सटटे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची बीपी का क39) (शून्य प्रविट करें यदि हानि हो)	2i
	ii सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकड़े लें)	2ii
	iii विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल का आंकड़े लें)	2iii

	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3व तथा 3ड और 4ख)	2iv		
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v		
3	पूँजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक			
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	का		
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	कii		
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	कiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	कiv		
	v	कुल अल्पकालिक (का + कii+कiii + कiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें)	3कv		
	ख	दीर्घकालिक			
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खा		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खiii		
	iv	कुल दीर्घकालिक (खा + खii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	खiv		
	ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग		
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट कर)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग		
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)	4घ		
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2v + 3ग + 4घ)			5	
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)			6	
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)			7	
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रणीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)			8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv)तक का योग + 4ख + 2iv)			9	
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर			10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची VIक का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित]		11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग (अनुसूची VIक का 2)		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)		11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)			12	
13	कुल आय (9- 11ग -12)			13	
14	विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग			14	
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)			15	
16	शुद्ध कृनि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)			16	
17	चालू वर्ग की हानिया जो अग्रणीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xv) का योग			17	
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)			18	

भाग ख - कुल आय पर कर

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)		1क		
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)		1ख		
		ग	ऊपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर		1ग		
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)		1घ		
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क			

देय कर	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख		
	ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग		
	घ	अधिभार			
	i	एस.आई अनुसूची 16 का 25%	2घi		
	ii	एस.आई अनुसूची का 16 - 2ग)	2घii		
	iii	कुल (i + ii)	2घiii		
	ड	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ड		
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)	2च		
	3	सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविट करें)	3		
	4	पूर्ववर्त में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)	4		
	5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]	5		
	6	कर अनुतो-ग			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख		
	ग	कुल (6क + 6ख)	6ग		
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविट करें)	7			
8	संदेय ब्याज और फीस				
क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क			
ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख			
ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग			
घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)	8घ			
ड	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ड			
9	सकल दायित्व (7 + 8ड)	9			
देय कर	10	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क		
	ख	टीसीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख		
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग		
	घ	स्व निर्धारण कर (15घ के स्तंभ 5 से)	10घ		
ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ड			
11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रविट करें)	11			
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)	12			
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खातों वाले प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)			
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)			
	क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड	बैंक का नाम	खाता सं	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं)
	i				
ii					
(ख)	नोट:				
	1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए 2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा				
(ख)	अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं				
	क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का नाम(लोकेशन)	आई.बी.ए.एन
14	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है				
	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी खोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				
15	अनुसूची-आयकर				
क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				

☐ हां ☐ नहीं

क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
I				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें।

स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]												
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	अपेक्षित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित , लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।		तदनुसूची रसीद/ आहरण प्रस्तुत की गई		अपेक्षित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस पैन/ आधार सं.	
i												
टिप्पण ► कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें												

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के स्तंभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग								स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस(वित्ति वर्ष 2021-22 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष दावा की जा रही (5) अथवा (6) में से राशि (तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुसूची रसीद प्रस्तुत की जा रही है।	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम							
				वित्तीय वर्ा जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम										
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
	i														
	ii														
टिप्पणी								कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें							

टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग भरें

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (ड्रॉप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

फार्म आईटीआर -V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म [जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलैक्ट्रानिक]	निर्धारण वर्ष 2022-23
-----------------	--	--------------------------

रूप से सत्यापित नहीं किए गए]		(कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)	
नाम			
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या	
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
सत्यापन			
मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है।			
हस्ताक्षर 			
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आईपी पता	
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड			
अनुदेश: कृपया विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आईटीआर-V को केवल साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरु-560500 को भेजें। वैकल्पिक रूप से आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके अथवा नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ईवीसी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं। आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी। सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।			
1.			

भारतीय आयकर विवरणी पावती				निर्धारण वर्ष	
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए]				2022-23	
(कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)					
स्थायी खाता संख्या					
नाम					
पता					
स्थिति		फार्म संख्या			
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या			
कर योग्य आय तथा कर व्योपे	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो			1	
	कुल आय				
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो			2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो			3	
	देय निवल कर			4	
	देय ब्याज तथा फीस			5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस			6	
	अदा किया गया कर			7	
	(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (6-7)			8	
क्र.सं.	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय			9	

	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	10	
	धारा 115नड के अंतर्गत देय ब्याज	11	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	12	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	13	
	(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (12-13)	14	
दिनांक.....को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणीआईटी पते से द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग करकेमोड के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड			

* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सीपीसी, बेंगलूरु को नहीं भेजे ."

[अधिसूचना सं. 21/2022 फा. सं. 370142/8/2022-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 229(अ) तारीख 29.03.2022 द्वारा किया गया था।